मार्च 2018

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
गोपाल भार्गव
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रबंध सम्पादक
शमीम उद्दीन

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com
Website : www.panchayika.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

आयोजन : गढ़ाकोटा रहस लोकोत्सव-2018 5
विशेष : टेक होम राशन का निर्माण करेंगे स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन 9
खास खबरें : प्रधानमंत्री आवास बनाने में प्रथम स्थान पर है मध्यप्रदेश 11
प्रगति : शत-प्रतिशत बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा 14
विशेष लेख : नारी सशक्त तो राष्ट्र समृद्ध 17
महिला सशक्तिकरण : आर्थिक स्वावलम्बन से महिला सशक्तिकरण 19
नवाचार : नवाचार में अग्रणी ग्राम पंचायत कोदरिया की सरपंच अनुराधा जोशी 22
अन्य प्रांतों से : स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट योगदान के लिये उत्तरप्रदेश में... 23
खास खबरें : पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रों में ही अनुदान राशि... 24
पंचायत : महिला सरपंच के नेतृत्व में हुआ गाँव का विकास 26
खास खबरें : सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को मिली राष्ट्रीय सराहना 28
उपलब्धि : महिला सरपंच के प्रयासों से कौडिया ग्राम में विकास के नए आयाम 30
सफलता की कहानी : ग्रामीण क्षेत्र में सत्रह लाख से अधिक आवासहीन को उपलब्ध... 32
विभागीय : अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देश 34
पंचायत गजट : पंचायतों में होगा सामुदायिक भवनों का निर्माण 35

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का फरवरी 2018 अंक पढ़ा। मध्यप्रदेश सरकार पंचायत और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्य ई-गवर्नेंस आधारित हो रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों में वित्तीय लेन-देन और अधोसंरचना निर्माण के कार्यों की मॉनीटरिंग पंच-परमेश्वर पोर्टल के जरिये की जा रही है। इस पोर्टल को हाल ही में भारत सरकार के प्रतिष्ठित 'गोल्ड आइकॉन' राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवॉर्ड से नवाजा गया है। ये इस बात का संकेत है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतें भी अब अपडेट हो गई हैं, जो प्रशंसनीय है।

- जितेन्द्र सिंह
सागर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ा। इस अंक में मध्यप्रदेश की पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग के तहत बारह हजार दो सौ करोड़ रुपये के अनुदान देने की जानकारी मिली। इस राशि से मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। इस राशि से ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना के कार्य सम्पन्न होंगे। साथ ही विभिन्न योजनाएं भी सतत चलती रहेंगी, जिनसे ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।

- वीरेन्द्र सिंह
जबलपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का फरवरी 2018 अंक मिला। इस अंक में सफलता की कहानियों का बढ़िया समावेश किया गया है। ये सफल गाथायें अन्य पंचायतों को बेहतर करने के लिये प्रोत्साहित करेंगी। इस अंक में होशंगाबाद जिले की ग्राम पंचायत रिछैड़ा में दिव्यांग सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाने की कहानी प्रेरणास्पद है।

- मनमोहन श्रीवास्तव
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का फरवरी माह का अंक पढ़ा। इस अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न परिपत्रों और आदेशों का प्रकाशन किया गया है। ये आदेश और परिपत्र पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणजनों का मार्गदर्शन करते हैं। इनके प्रकाशन से आमजन को शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलती है।

- सीमा मिश्रा
भोपाल (म.प्र.)

महिला स्वावलम्बन से सशक्तिकरण तक

प्रिय पाठकगण,

प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिये यह जरूरी है कि महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी हो। इस सरकार ने सत्तारुढ़ होते ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। अधिकार के साथ व्यवस्थाएँ बदली और व्यवहार में भी परिवर्तन आया। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को समाज ने स्वीकारा और महिलाओं ने कार्य के बल पर अपनी क्षमता को साबित किया। कई पंचायत प्रतिनिधियों के कार्य तो राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गये। यह महिलाओं के कार्य का जज़्बा है कि इस समय आरक्षण से ज्यादा लगभग 54 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधि पंचायत राज व्यवस्था को संभाले हुए हैं।

इन दिनों आजीविका मिशन के द्वारा बनाये गये स्व-सहायता समूहों के कार्यों से ग्रामीण मध्यप्रदेश में बड़ा परिवर्तन आया है। समृद्धि के लिये किये गये प्रयत्नों के परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। आजीविका मिशन के दो लाख से ज्यादा स्व-सहायता समूहों की बचत ढाई सौ करोड़ के आसपास है। इन समूहों से लगभग 23 लाख परिवार जुड़े हैं। यह आंकड़ा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में संतोषजनक है। प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं की क्षमता, कलात्मकता और कार्य के प्रति समर्पण इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को देखकर सहज ही समझा जा सकता है। आजीविका समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता किसी ब्राण्डेड उत्पादों से कम नहीं है। आजीविका समूह की ही लगभग 1 लाख 43 हजार सदस्य जो पहले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती थीं। अब उनकी आय एक लाख या उससे अधिक है और यह उन महिलाओं का आत्मविश्वास ही है कि वे अपना बीपीएल कार्ड वापस कर रही हैं।

जब महिलाएँ आर्थिक रूप से सबल हुईं। 'रोज़गार और स्व-रोज़गार' से जुड़ीं तो उनमें स्वावलम्बन का भाव आया। उनके उन्नयन के साथ मनोबल पर भी असर पड़ा। महिला यदि स्वावलम्बी होगी तो उसका उन्नयन होगा। यही सच्चे अर्थों में सशक्तिकरण है। ठीक ऐसा ही सशक्तिकरण मध्यप्रदेश के गाँवों में दिखाई दे रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है आर्थिक स्वावलम्बन से ही महिलाओं का सशक्तिकरण संभव हो सकेगा। यही स्वरूप मध्यप्रदेश के गाँवों में निर्मित हुआ है। गाँव की अर्थव्यवस्था सुधरी है। मध्यप्रदेश, ग्रामीण बाहुल्य प्रदेश है। यदि ग्राम समृद्ध होंगे, तो प्रदेश समृद्ध होगा और प्रदेश की प्रगति में कई गुना बढ़ोतरी होगी।

भविष्य में यह संवाद निरन्तर रहेगा। पंचायिका में प्रकाशित योजनाओं का लाभ अवश्य लें।

शुभकामनाओं सहित।

(गोपाल भार्गव)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में महिला स्वावलम्बन के सफल परिणाम

प्रिय पाठको,

विगत दिनों गढ़ाकोटा, सागर में आयोजित रहस महोत्सव 'नारी शक्ति' के लिए समर्पित रहा। आयोजन का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किया।

प्रदेश की प्रथम नागरिक श्रीमती आनंदीबेन पटेल जहां मंच से नेतृत्व का प्रतीक थीं वहीं आत्मशक्ति से परिपूर्ण महिला स्व-सहायता समूहों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ये समूह राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

मेले में प्रदेश से आईं महिलाओं और बेटियों को पचास हजार आजीविका सेनेटरी नेपकिन प्रदान किये गये। जिनका निर्माण महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा ही किया गया था। महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए की जाने वाली पहल का इससे व्यापक उदाहरण शायद ही कहीं देखा गया है।

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के नाते मार्च माह में महिलाओं की विकास में भागीदारी और विकास के लिए प्रेरित करने का आयोजन अवसर होता है। हमारे लिए यह उत्साह और समाधान का विषय है कि जिस आर्थिक स्वावलंबन और उन्नयन की बातें मंच पर की जाती हैं उन्हें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय आजीविका मिशन की महिलाओं ने जमीन पर उतारा है। अपने ही कार्य के बल पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं अब गरीबी रेखा से ऊपर आ गयी हैं। यही नहीं कई महिलाओं ने तो अनुकरणीय कार्य कर मिसाल कायम की है। इस माह की पंचायिका में हमने ऐसी ही कुछ सफल महिलाओं की गाथाओं को शामिल किया है। कुछ महिला सरपंचों ने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और नवाचार किये हैं, उनकी कार्यप्रणाली और उपलब्धि को भी इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश में केन्द्र की कई योजनाओं में अग्रणी कार्य कर रहा है। इसकी जानकारी भी हम पंचायिका में प्रकाशित कर रहे हैं।

विभागीय स्तम्भ में अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देश तथा पंचायत गजट में हाल ही में जारी किये गये शासकीय आदेशों का प्रकाशन किया गया है। शेष स्तम्भ यथावत हैं।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(शमीम उद्दीन)
संचालक, पंचायत राज

गढ़ाकोटा रहस लोकोत्सव-2018

महिला सशक्तिकरण का प्रतिबिम्ब

विंध्य पर्वत माला में सुनार और गधेरी नदी के तट पर बसे 'गढ़ाकोटा' नगर में 214 वर्ष पूर्व सन् 1803 में 'महाराजा मर्दन सिंह जूदेव' राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शुरू हुआ 'रहस मेला' बुन्देलखण्डी कला, संस्कृति और जनकल्याण के त्रिवेणी लोकोत्सव के साथ ही अब नारी सशक्तिकरण का केन्द्र बना है।

प्रदेश की प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 22 फरवरी 2018 को इस 'गढ़ाकोटा लोकोत्सव' का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल स्वयं नारी शक्ति का केन्द्र हैं। उन्होंने गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया है। वे अब मध्यप्रदेश के राज्यपाल के रूप में मध्यप्रदेश की मातृशक्ति के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। इस वर्ष आयोजित किया गया यह 'रहस लोकोत्सव' नारी शक्ति के लिए समर्पित रहा है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल भी बड़ी संख्या में 'मातृ शक्ति' की उपस्थिति से भारी उत्साहित रहीं। उन्होंने उपस्थित माताओं को बालिका शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा था कि गरीबी से लड़ने का मूल मंत्र शिक्षा है। बेटियों को पढ़ाएंगे तो बेटियों में स्वास्थ्य, संस्कार और स्वावलंबन का स्वतः ही विकास होगा।

- **सम्मेलन में 50 हजार महिलाओं को बांटे गये निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन।**
- **प्रदेश के 1.50 लाख स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध करवायी गयी दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता।**
- **रहली विधानसभा क्षेत्र में 21 हजार परिवार जुड़े आजीविका मिशन से।**

रहस मेला अब बुंदेलखण्ड के नारी सशक्तिकरण का प्रतिबिंब बन गया है। इस मेले के जरिए अंचल की असंख्य महिलाओं ने पहली बार राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का साक्षात्कार किया। यहीं से महिलाओं के मन में सरकार की मदद से आत्मनिर्भरता के नवीन अंकुर भी फूटे।

महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रही हैं। उनकी सोच में भी बदलाव आया है। उन्होंने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा महिलाएं आसानी से आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकती हैं और गरीबी के चंगुल से मुक्त हो सकती हैं। राज्यपाल ने सभी माताओं से अपनी बेटियों

ग्रामीण विकास में देश का अग्रणी राज्य बना मध्यप्रदेश

गढ़ाकोटा में आयोजित रहस मेले में केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। यहां ग्रामीण विकास की गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज हुई है। भारत सरकार द्वारा 2022 तक देश के प्रत्येक आवासहीन परिवार को आवास मुहैया कराने के लिए प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी है। उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के सार्थक प्रयासों की प्रशंसा की।

को पढ़ाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि पढ़ी हुई बेटी दो परिवारों का उद्धार करती है। श्रीमती पटेल ने बाल विवाह और उससे होने वाली समस्याओं से भी उपस्थित महिलाओं को आगाह किया।

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना की और कहा कि महिलाएँ आगे आएं और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आगामी बजट में प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि गढ़ाकोटा में रहस मेले का आयोजन 214 वर्ष पुराना है। इस मेले को सार्थक बनाने के लिए बुंदेलखंड की कला और संस्कृति के साथ-साथ सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए ग्रामीण जनों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी का परिणाम है कि आज पंचायत राज संस्थाओं में 54 प्रतिशत महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

प्रदेश की 51 जिला पंचायतों में से 34 जिला पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर महिला अध्यक्ष कार्यरत हैं। श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश में आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक आत्म-निर्भरता प्रदान करने का काम भी बड़ी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। प्रदेश के डेढ़ लाख महिला स्व-सहायता समूहों को लगभग 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी क्रम में रहली विधानसभा क्षेत्र के 214 गांवों में 2 हजार समूहों का गठन कर 21000 परिवारों को मिशन से जोड़ा गया है। इन समूहों को दो चरणों में 12 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार रहली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 17 हजार बेटियों का विवाह कराया गया है।

श्री भार्गव ने कहा कि महिलाओं की सबसे गंभीर समस्या मासिक धर्म के अवसर पर हाइजेनिक संसाधन उपलब्ध ना होना है। इसका सामना करने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के समूह द्वारा तैयार किए गए सेनेटरी नैपकिन ग्रामीण महिलाओं को नाम मात्र मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके प्रति जन जागृति के उद्देश्य से सम्मेलन में आने वाली 50,000 महिला हितग्राहियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन का वितरण कराया जा रहा है।

नारी शक्ति पर केन्द्रित रहा मेला

22 फरवरी से 26 फरवरी 2018 तक पाँच दिन चलने वाले इस लोकोत्सव का आगाज आजीविका मिशन की उन बहनों की सफलता की कहानियों से हुआ।

जिन्होंने जिंदगी में अपने संघर्ष और साहस के दम पर समाज में अपनी पहचान बना ली है।

रहली की 'अर्चना' गहरे अवसाद से निकल बनी ब्रांड एम्बेसेडर

सागर जिले के रहली विकासखण्ड के ग्राम धनई की 'अर्चना' अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा का केन्द्र बनी हुई 26 वर्षीय अर्चना 2 वर्ष पूर्व घर पर 2 बेटों को छोड़कर पति ओमकार के साथ मजदूरी करने गई हुई थी, तभी एक बेटे की कुएँ में गिरकर मौत हो गई, बेटे की असामयिक मृत्यु से 'अर्चना' अंदर से टूट गई, जीवन में निराश का दौर शुरू हो गया। मजदूरी छोड़ने से दो जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया, तभी उसे गाँव की महिलाओं से 'आजीविका मिशन' के बारे में मालूम हुआ, वह भी एक समूह से जुड़ी, अब घर पर वह और पति दोनों लोग 'अगरबत्ती' बनाते हैं, जिससे अर्चना 15 से 20 हजार रुपये कमा लेती और बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं। जरूरत होने पर सास-ससुर, देवर को भी आर्थिक मदद कर रही हैं।

'अर्चना' से प्रेरित होकर उसके आस-पास के गाँव की अनेक महिलाएँ इस मिशन से जुड़ी हैं। घर पर काम करके आर्थिक आजादी महसूस कर रही हैं।

अकेले सागर जिले में 90 हजार महिलाएँ चौके-चुल्हे से बाहर निकलकर समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं, जबकि प्रदेश के 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में आजीविका मिशन के माध्यम से बनाये गये, 2 लाख 03 हजार 244 महिला स्व-सहायता समूहों में 23 लाख 28 हजार महिलाएँ आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रही हैं, जिनमें से एक लाख 51 हजार 438 स्व-सहायता समूहों को 1910 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

आजीविका की नेपकिन

'गढ़ाकोटा रहस लोकोत्सव' इस वर्ष इस बात के लिए भी याद किया जाता रहेगा जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। महिलाओं को 'सेनेटरी नेपकिन' के उपयोग, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में राज्यपाल द्वारा मुखर होकर समझाईश दी गई। वहीं आजीविका मिशन के समूहों द्वारा तैयार किए गये 'सेनेटरी नेपकिन' के 50 हजार पैकिट महिलाओं व बेटियों को निःशुल्क उपलब्ध कराये गये। ग्रामीण स्व-सहायता समूहों का इस गतिविधि से जुड़ने से 'सेनेटरी नेपकिन' की ग्रामीण अंचल में उपलब्धता भी सहज हो रही है।

नेपकिन के बाद अंचल की 260 महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 'उज्ज्वला योजना' के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गये।

78 हजार 202 लोगों ने शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया

साढ़े तीन हजार परिवारों को स्वयं के आवास का सपना साकार कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र

दिए गये, 570 परिवारों को सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन, 167 लाड़लियों को बचत पत्र, 1490 को पोषण आहार, 7150 मुनगां के लड्डू, 97 युवाओं को स्वरोजगार गतिविधियों के स्वीकृति पत्र, 9,886 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी इस लोकोत्सव में किया गया।

5 दिन में सवा दो लाख से अधिक लोगों ने 'रहस' में दर्ज कराई भागीदारी

बुन्देली 'कला संस्कृति के साथ जनकल्याण' की त्रिवेणी संगम लोकोत्सव में 5 दिन में आयोजित विभिन्न राज्य स्तरीय सम्मेलनों में 2 लाख 20 हजार 359 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई, जिनमें आधे से ज्यादा एक लाख 31 हजार 216 महिलाओं की उपस्थिति रही। वर्ष 2004 से प्रदेश सरकार के केबिनेट मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने इस लोकोत्सव को शासन की योजनाओं से जोड़ दिया है। अपने अंचल की बेटियों, महिलाओं को आर्थिक के साथ सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य लिए हुए श्री भार्गव ने इस लोकोत्सव के माध्यम से 17 हजार बेटियों का विवाह 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' द्वारा सम्पन्न कराया है, जो अपने आप में महिला कल्याण का सशक्त उदाहरण है। लोकोत्सव की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति के लिये समर्पित रही।

'राई' त्रिवेणी संगम का मुख्य आकर्षण

यूँ तो बुन्देलखण्ड की सांस्कृतिक विरासत में 'राई' के अतिरिक्त 'बधाई', 'कानड़ा', 'ढिमरियाई', 'सैरा', 'नौरता', 'बरेदी' लोक-नृत्य हैं, लेकिन 'राई' बुन्देलखण्ड का लोकप्रिय लोक-नृत्य है। परम्परागत रूप से खुशी के किसी भी अवसर बच्चे के जन्म, मुंडन संस्कार, जनेऊ हो, शादी-विवाह का अवसर या फिर कोई मनौती पूरी होने पर 'राई' लोक-नृत्य का आयोजन किया जाता है।

बुन्देलखण्ड अंचल में राई नृत्य की परम्परा बहुत पुरानी है। बारहवीं शताब्दी में लिखे गये 'आल्हाखंड' और 'परमालरासो" नाम के ग्रंथों में जन्मोत्सव के अवसर पर लोक-नृत्य कराने का उल्लेख किया गया है। बेजोड़ लोक-संगीत, तीव्र गति नृत्य और तात्कालिक कविता के तालमेल ने राई नृत्य को सम्पूर्णता प्रदान की है। राई एक पूर्ण नृत्य है। अपनी पारम्परिकता में 'राई' एक सम्पूर्ण लोक-नृत्य की श्रेणी में है। 'राई' नृत्य के केन्द्र में नर्तकी 'बेड़नी' होती है और साथ में मृदंग-वादक होते हैं, जिसे 'मृदंगिया' कहते हैं। इस नृत्य में 'बेड़नी' और 'मृदंगिया' एक-दूसरे के पूरक होते हैं। घूँघट और घेरदार घाघरा राई नृत्य की मुख्य पोशाक हैं। 'गढ़ाकोटा रहस लोकोत्सव' की सायंकालीन सभा में इस नृत्य का आयोजन विशेष जन आकर्षण का केन्द्र रहता है।

● **अनिल वशिष्ठ**
सहायक सूचना अधिकारी, जनसंपर्क

टेक होम राशन का निर्माण करेंगे स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये मुख्यमंत्री महिला कोष की स्थापना की जायेगी। कोष का उपयोग महिला सशक्तिकरण गतिविधियों में किया जायेगा। उन्होंने उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पचास वर्ष से अधिक आयु की विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जायेगी। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए कामकाजी महिला वसतिगृहों का संचालन निजी भवनों को

किराये पर लेकर किया जायेगा। इसमें महिलाओं की सुरक्षा तथा सुविधाओं के पर्याप्त उपाय किए जायेंगे।

श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश की आँगनवाड़ियों में वितरित होने वाले टेक होम राशन के निर्माण और प्रदाय का कार्य महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन के जरिये किया जायेगा। शासकीय विद्यालयों में वितरित की जाने वाली यूनिफार्म को सिलने का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जायेगा। योग्य महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन्स को ऋण की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था में पालन-पोषण के लिये छह महीने से लेकर प्रसव तक चार हजार रुपये दिये जायेंगे। प्रसव के बाद 12 हजार रुपये दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की गरिमा को मलिन करने वालों को फाँसी की सजा होगी। इसके लिये कानून बनाकर राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिये भेजा गया है। समाज को भी बेटियों की सुरक्षा के लिये खड़े होना होगा। मानसिकता बदलनी होगी। बेटों में भी संस्कार देने की पहल करना होगी कि वे

- **आंगनवाड़ियों में वितरित होने वाले टेक होम राशन के निर्माण और प्रदाय का कार्य महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन के जरिए किया जायेगा।**
- **महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला कोष की स्थापना की जायेगी।**
- **महिला अधिवक्ताओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।**
- **शासकीय विद्यालयों में वितरित की जाने वाली यूनिफार्म को सिलने का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जायेगा।**
- **योग्य महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन को ऋण की गारंटी सरकार देगी।**
- **श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था में पालन-पोषण के लिये छह महीने से लेकर प्रसव तक चार हजार रुपये दिये जायेंगे। प्रसव के बाद 12 हजार रुपये दिये जायेंगे।**

बहनों और बेटियों का सम्मान करें।

समाज और विश्व को आगे बढ़ाने के लिये मातृ शक्ति को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर देने होंगे। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे आगे बढ़ें और मध्यप्रदेश को भी आगे बढ़ायें। उन्होंने कहा कि हर दिन बेटी का होना चाहिये। सिर्फ एक दिन सम्मान और श्रद्धा का कार्यक्रम करने की रस्म निभाने से आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इसमें लाड़ो सम्मान, लिंगानुपात सुधार पुरस्कार, तेजस्विनी पुरस्कार, सशक्त वाहिनी पुरस्कार और 60 वर्ष से अधिक आयु की उन महिलाओं को सम्मानित किया गया, जो अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में अथक कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने पश्चिम मध्य रेल में सहायक लोको पायलट सुश्री आरती सिंह राजपूत, सुश्री प्रीति वर्मा और सुश्री दीपा झरवड़े को सम्मानित किया। उन्होंने सुश्री पूरन ज्योति, सुश्री इशिता विश्वकर्मा, श्री राघवेन्द्र शर्मा और सुश्री अनीता विश्वकर्मा को लाडो सम्मान दिया। बुरहानपुर जिले में लिंगानुपात सुधार के लिये सुश्री सौरभ सिंह को सम्मानित किया गया। सुश्री विनीता नामदेव, श्रीमती रेखा पंजाम, सुश्री इंद्राणी वरकड़े, सुश्री शांति टेकाम को तेजस्विनी पुरस्कार दिया गया। बुरहानपुर की सुश्री निधि गुप्ता को सशक्त वाहिनी पुरस्कार दिया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने महिला वसति गृह 'स्वयंसिद्धा' का लोकार्पण किया। उन्होंने मातृ शक्ति की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारी शक्ति की गरिमा का उत्सव मनाने का दिन है। उन्होंने बताया कि एक लाख बेटियों को ड्रायविंग लाइसेंस दिये गये हैं। कर्मशियल लाइसेंस देने की भी पहल होगी।

उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा तथा कल्याण में प्रदेश आगे है। आँगनवाड़ी की 12 हजार कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिया गया है। शेष आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्दी ही मोबाइल मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना से संस्थागत प्रसव कई गुना बढ़ गया है और कम वजनी बच्चों की संख्या में कमी आयी है। गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या भी कम हो गई है।

आयोजन में अखिल भारतीय किरार महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह चौहान, राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव और बड़ी संख्या में मातृ शक्ति उपस्थित थीं। सभी जिलों से महिलाएँ सम्मेलन में भाग लेने आई थीं। अध्यक्ष म.प्र. हाउसिंग बोर्ड श्री कृष्ण मुरारी मोघे, महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े भी उपस्थित थीं। शुभारंभ सत्र में बाल भवन के बच्चों ने बेटी बचाओ पर नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया और आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती जयश्री कियावत भी उपस्थित थीं।

प्रधानमंत्री आवास बनाने में

प्रथम स्थान पर है मध्यप्रदेश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने अपने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख 92 हजार आवास का निर्माण कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम राज्य बन गया है। इसके साथ ही इसी वित्तीय वर्ष 2017-18 में 22 लाख 34 हजार शौचालयों का निर्माण करने वाला मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य है। प्रदेश के 23 हजार 597 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है तथा 2 अक्टूबर, 2018 तक सम्पूर्ण प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने का कार्य प्रदेश में तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 19 हजार 456 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 8854 ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम फेज में 20 हजार 256 करोड़ रुपये के व्यय से 69 हजार 285 किलोमीटर सड़कों तथा 185 पुलों का निर्माण कराया जा चुका है, जिससे 16 हजार 276 गाँव लाभान्वित हुए हैं। द्वितीय फेज के तहत पूर्व में निर्मित ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का कार्य कराना प्रस्तावित है। इसके लिये 3,432 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं, जिनसे 189 पुलों और 376 मार्गों की 5,116 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन कराया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का गठन कर 969 किलोमीटर गैर-परम्परागत पद्धति से सड़क बनाने पर भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदेश में सड़क निर्माण की गुणवत्ता नियमन में भी मध्यप्रदेश का देश

में पहला स्थान है।

मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि जल-संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियों के तहत प्रदेश में 492 परियोजनाओं के माध्यम से 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल-संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य कराये गये हैं।

श्री भार्गव ने बताया कि प्रदेश में 32 जिलों में स्व-सहायता समूह द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिये 90 लाख स्कूली ड्रेस बनाने का कार्य किया जा रहा है। अधोसंरचना विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार गतिविधियों का संचालन भी विभाग का प्रमुख लक्ष्य है। आजीविका मिशन के माध्यम से 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में 42 हजार 700 समूहों में 4 लाख 31 हजार परिवारों को जोड़ा गया है। इन समूहों द्वारा 105 प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।

पंच-परमेश्वर योजना के तहत प्रदेश की प्रत्येक पंचायत को औसतन 10 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। जिला और जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को अधोसंरचना कार्य स्वीकृति के लिये 381 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। इसी योजना में ग्राम पंचायतों को परफार्मेंस ग्रांट के अंतर्गत 300 करोड़ की राशि दी गई है। उन्होंने पंच-परमेश्वर योजना की राशि से पेयजल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये पूर्व में निर्धारित की गई 10 प्रतिशत राशि की समीक्षा कर उसमें बढ़ोत्तरी करने की बात भी कही। श्री भार्गव ने बताया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों को स्वयं का पंचायत भवन उपलब्ध कराने का है। इसके लिये 165 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि 1117 पंचायत भवनों के निर्माण के लिये, 17 हजार 82 लाख 95 हजार रुपये 1240 सामुदायिक और मांगलिक भवनों के निर्माण के लिये तथा 11 हजार 208 लाख रुपये 1437 आँगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिये स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 सामुदायिक/मंगल भवन का निर्माण संभव हो सका है।

मंत्री श्री भार्गव ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश सरकार ग्राम पंचायत के साथ, पंचायत सचिवों के प्रति भी उतनी ही संजीदा है। एक अप्रैल, 2016 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों का 5200-

20200+ग्रेड-पे 2400 का वेतनमान निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही एक अप्रैल, 2008 के बाद मृत्यु पर सचिवों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता दी गई है।

महिला सचिवों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पुरुष सचिव को 15 दिन का पितृत्व अवकाश की पात्रता प्रदान की गई है। टेकहोम राशन के तहत प्रदेश में 7 पोषण-आहार संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। धार, देवास, मण्डला, रीवा, सागर, होशंगाबाद एवं शिवपुरी में संयंत्र निर्माण का कार्य किया जायेगा।

गाँव में स्ट्रीट लाइट, 15367 ग्रामीण नल-जल योजनाओं के विद्युतीकरण और स्मार्ट मीटरिंग किया जाना है। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में 46 लाख 95 हजार जॉब-कार्डधारक हैं, जिन्हें वर्ष 2017-18 में 1556.88 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। इस योजना पर वर्ष 2017-18 में 4042 करोड़ व्यय किया गया है।

श्री भार्गव ने कहा कि विभाग की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता भी शासन की प्राथमिकता है। इसलिये पंचायतों के कार्यों और वित्तीय प्रबंध हेतु 'पंच-परमेश्वर पोर्टल' विकसित किया गया, इसे भारत सरकार द्वारा 'गोल्ड आइकॉन' राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास के लिये 'आवास सॉफ्ट', स्वच्छ भारत मिशन के लिये 'स्वच्छ एम.पी. पोर्टल', मनरेगा की मॉनीटरिंग के लिये 'जियो मनरेगा', पंचायत एवं ग्रामीण विकास की गतिविधियों की मॉनीटरिंग के लिये 'इन्फ्रामैपिंग मोबाइल एप्स' जैसी तकनीक का उपयोग विभाग द्वारा किया जा रहा है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत एक लाख 14 हजार 603 शैक्षणिक संस्थाओं के 72 लाख से अधिक बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री भार्गव ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर वर्ग निर्धन, वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं, निःशक्तजनों की चिंता की जा रही है।

सिंगल क्लिक के माध्यम से 36 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों को 116 करोड़ रुपये की पेंशन माह की पहली तारीख को उपलब्ध कराई जा रही है। दस जिलों में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र तथा भोपाल में 5 सितारा वृद्धाश्रम बनाया जाना भी प्रस्तावित है।

इसके साथ ही विधवा और दिव्यांग पेंशन स्वीकृति के अधिकार पंचायत सचिव को दिये गये हैं। पेंशन स्वीकृति का सरलीकरण किया गया। समग्र पोर्टल पर दर्ज पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर लिया जाता है, सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है। निःशक्तजनों के लिये मोटरेट साइकिल वितरित करने की योजना भी राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम भी बनाया है, जिसके अनुसार शासकीय निगम मण्डलकर्मी अगर माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करता है तो 10 हजार रुपये उसके वेतन से कटौत्रा किये जायेंगे। विभाग द्वारा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में 2 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह पर 28 हजार रुपये प्रदान किये जा रहे हैं, जिनमें बेटियों को 3 हजार रुपये स्मार्ट-फोन के लिये दिये जाते हैं। अभी तक 4 लाख 26 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है। बहु-विकलांग और मानसिक विकलांग पेंशन बढ़ाकर प्रतिमाह 500 कर दी गई है तथा दिव्यांगजनों के लिये शासकीय नौकरियों में पदों का आरक्षण 3 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव के अनुदान माँगों पर चर्चा के जवाब के बाद उनके विभाग का बजट 36,464 करोड़ 49 लाख रुपये सर्व-सम्मति से पारित किया गया।

● **अनिल वशिष्ठ**
सहायक सूचना अधिकारी, जनसंपर्क

राज्य स्तरीय सम्मेलन में स्वयं-सहायता समूह हुए पुरस्कृत

नाबार्ड स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग की कार्य-योजना तैयार करें

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की व्यापक मार्केटिंग के लिये नाबार्ड कार्ययोजना तैयार करें। इसमें राज्य सरकार भी सहयोग करेगी। उन्होंने यह बात नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्व-सहायता समूह पुरस्कार समारोह में कही। कार्यक्रम में वित्तीय अनुशासन और आजीविका में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के 10 महिला स्व-सहायता समूहों को पुरस्कृत किया गया।

श्री गोपाल भार्गव ने राज्य में स्व-सहायता समूह आंदोलन के विस्तार के लिए नाबार्ड और मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में 3 लाख स्व-सहायता समूहों से 45 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है।

श्री भार्गव ने बैंकों और सिविल सोसायटी संगठनों से आग्रह किया कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने नाबार्ड द्वारा बैंकों और स्व-सहायता समूहों के योगदान को रेखांकित करने और उन्हें पुरस्कृत करने की पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयासों से अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे।

- **वित्तीय अनुशासन और आजीविका में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्यप्रदेश के 10 महिला स्व-सहायता समूह पुरस्कृत।**
- **नाबार्ड और आजीविका मिशन ने मिलकर 3 लाख स्व-सहायता समूहों से 45 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया।**
- **समूहों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा।**
- **1.25 लाख समूहों ने बैंक से ऋण प्राप्त किया है।**
- **स्व-सहायता समूहों को स्कूल के छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफार्म तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है।**

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि स्व-सहायता समूहों को प्रदत्त 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया गया है। साथ ही स्व-सहायता समूहों को स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल ड्रेस तैयार करने और आंगनवाड़ी केन्द्रों को पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने जैसे अहम काम सौंपे गये हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से तैयार की गई 'सेनेटरी नेपकिन' मशीन गर्ल्स स्कूल में लगाने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा है।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री के.आर. राव ने बताया कि नाबार्ड और मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ने मिलकर राज्य में 3 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों का निर्माण किया है, जिसमें से 1.25 लाख समूहों ने बैंक से ऋण भी प्राप्त किया है। इससे राज्य की ग्रामीण महिलाओं की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

कार्यक्रम में अनूपपुर, देवास, बैतूल और ग्वालियर जिलों के स्व-सहायता समूहों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर श्री पी.के. जेना, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री अजय व्यास, फील्ड महाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक और संयोजक, एसएलबीसी, एल.एम. बेलवाल, सीईओ, एम पी एस आर एल एम बैंकों के राज्य प्रमुख भी उपस्थित थे।

शत-प्रतिशत बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 68 हजार 771 कि.मी. सड़कों का निर्माण पूर्ण।**
- **सड़क निर्माण के लिए 20 हजार करोड़ की राशि व्यय की गयी।**
- **एक हजार 425 करोड़ रुपये की राशि से 5 हजार किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का कार्य किया जायेगा।**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश की शत-प्रतिशत बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके लिये मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 68 हजार 771 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। इसी क्रम में 5 हजार किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का कार्य भी किया जा रहा है, जिस पर लगभग एक हजार 425 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

श्री भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से ग्रामीण अंचल में क्रांति आई है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 16 हजार 888 सड़कों का निर्माण करवाया गया, जिन पर 188 बड़े पुल भी तैयार किये गये हैं।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पाँच हजार किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 172 सड़कों की 2 हजार 156 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिये एक हजार 425 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसमें 25 बड़े पुलों का उन्नयन भी शामिल है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इसी प्रोजेक्ट में 205 मार्गों के 2 हजार 859 किलोमीटर सड़कों और 121 बड़े पुलों के निर्माण के लिये एक हजार 979 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पाँच हजार किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 172 सड़कों की 2 हजार 156 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिये एक हजार 425 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसमें 25 बड़े पुलों का उन्नयन भी शामिल है।

सफलता की कहानी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

एक सड़क ने बदला गांव का जीवन

ग्राम आलमपुरा सीहोर जिले से 20 किलोमीटर दूरी पर है, जो सीहोर भोपाल मार्ग पर स्थित बरखेड़ी ग्राम के पास है, बरखेड़ी और आलमपुरा के बीच में कच्चा रास्ता था तथा एक बड़ा नाला पड़ता था, जिसके कारण ग्रामवासी आलमपुरा से बरखेड़ी नहीं पहुंच पाते थे तथा हीरापुर से आलमपुरा तक 1.50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग एक घंटा लगता था एवं वर्षाकाल में तो सीहोर-भोपाल मुख्य मार्ग पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, जिससे किसी भी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे इलाज की सुविधा भी नहीं मिल पाती थी। सही समय पर इलाज न मिलने के कारण कई लोग अकारण ही असमय काल का ग्रास बन जाते थे।

आजादी के बाद यहां पर पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से डामरीकृत सड़क बनी। सड़क की लंबाई 1.39 किलोमीटर एवं लागत रुपये 94.81 लाख है। इस सड़क के निर्मित होने से ग्राम आलमपुरा की 735 आबादी लाभान्वित हुई है। सड़क का कार्य 15 अप्रैल 2015 को पूर्ण किया गया है। पहले यह गांव सड़क विहीन था यहां का रास्ता दुर्गम और जोखिम भरा था, सड़क के अभाव में शासन की कोई भी विकास योजना गांव तक अपने वास्तविक रूप में नहीं पहुंच पा रही थी। वर्षाकाल में इस ग्राम का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट जाता था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस ग्राम के लिये वरदान बनकर आई है, जिसके तहत ग्राम आलमपुरा को सीहोर-भोपाल मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया, साथ ही रास्ते में आने वाले नालों पर पुल-पुलियों का निर्माण किया गया। सड़क निर्माण के बाद ग्राम आलमपुरा के लोगों के लिये परम्परागत व्यवसायों के अतिरिक्त नई संभावनाओं के द्वारा खुले हैं।

दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क ने दुग्ध व्यवसाय को लाभकारी बना दिया है अब वह किसी भी मौसम में शहर जाकर ज्यादा कीमत पर दूध बेच सकते हैं। पहले दुग्ध उत्पादनकर्ता किसानों को ग्राम में ही दुग्ध जमाकर घी बनाना पड़ता था अथवा दुग्ध का मावा बनाना पड़ता था जिससे किसानों को कम लाभ होता था।

अब किसान अपनी फसल को मंडी तक आसानी से ले जा सकते हैं तथा समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्र तक फसल ले जाना आसान हो गया है। पहले वर्षाऋतु में आवागमन बंद हो जाता था जिसके कारण वर्षाकाल में फसल के अच्छे भाव होने के बावजूद भी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता था। परन्तु अब पक्की सड़क बन जाने से बारह महीने आवागमन की सुविधा हो गई है। जिससे जब भी बाजार में फसलों का अच्छा भाव मिलता है। किसान उसी समय अपनी फसल को बेचकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं।

सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों का कहना है कि इस सड़क ने सब्जी व्यवसाय को लाभकारी बना दिया है। अब वह किसी भी मौसम में शहर जाकर अच्छे भाव पर सब्जी बेच सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। पहले सब्जी बेचने की सुविधा न होने के कारण ग्राम में ही सब्जी को कम कीमत पर बेचना पड़ता था तथा कभी-कभी तो सब्जियां ग्राहकों के अभाव में खराब भी हो जाती थीं।

सड़क बन जाने के बाद प्रशासन के

कहाँ : जिला सीहोर, ग्राम आलमपुरा।
समस्या : सड़क मार्ग का अभाव।
समाधान : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण किया गया।

लोग आसानी से गांव तक पहुंचने लगे हैं तथा शासन की कई योजनाओं की जानकारी और उनका क्रियान्वयन आसान हो गया है। पहले हैण्डपंप खराब होने या बिजली खराब होने पर उसमें सुधार का कार्य होने में महीनों लग जाते थे। अब अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने पर यह कार्य तत्काल हो जाते हैं। ग्राम तक कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी भी आसानी से भ्रमण पर आ जाते हैं, जिसके कारण ग्रामवासियों को शासकीय योजनाओं का अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है और कृषि एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होने से ग्रामवासियों को लाभ हो रहा है।

सड़क के कारण ग्राम में शिक्षक आसानी से पहुंच जाते हैं तथा मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन भी आसानी से किया जा रहा है। मार्ग बनने से ग्राम में स्कूल बस भी जाने लगी है, जिससे ग्राम के छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने लगे हैं तथा ग्राम में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है।

गंभीर बीमारी अथवा प्रसव की स्थिति में मरीज को तुरन्त 108 पर फोन लगाकर शासकीय निःशुल्क एम्बुलेंस को बुलाकर जिला अस्पताल सीहोर या भोपाल ले जाया जाता है, जिससे कई मरीजों की जान बच जाती है। इसी प्रकार महिलाओं को प्रसव के लिए जरूरत होने पर जननी एक्सप्रेस को फोन लगाकर गांव में बुला लिया जाता है एवं प्रसूता को अस्पताल ले जाकर सुरक्षित एवं निःशुल्क प्रसव की सुविधा प्राप्त हो जाती है।

ग्राम तक सड़क बनने के कारण गरीब ग्रामवासियों का मजदूरी के लिए आसानी से पास के शहर सीहोर एवं भोपाल जाना सुलभ हुआ है, जिससे उन्हें अधिक मजदूरी मिल रही है एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। ग्राम तक सड़क बनने के कारण आटो रिक्शा व अन्य वाहन चलने लगे हैं जिससे आवागमन भी आसान हो गया है एवं ग्रामवासी पास के शहर से कम कीमत पर अपनी जरूरत का सामान किसी भी मौसम में खरीदकर ला सकते हैं। पहले ग्रामवासियों को वर्षाकाल के पूर्व ही चार माह का जरूरत का सामान एकत्र करके रखना होता था।

● **अनिल वशिष्ठ**
सहायक सूचना अधिकारी, जनसंपर्क

मिशन अंत्योदय के लक्ष्य पूर्ण करने के लिए
उच्च शिक्षित लोगों को जोड़ा जाये

अन्त्योदय के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संसाधन केन्द्र में उच्च शिक्षित ज्ञानसाधक व्यक्ति को बाह्य स्त्रोत के जरिये पारिश्रमिक पर रखने के निर्देश दिये। बेहतर परिणाम के लिये संस्थान में कोर संकाय की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने को भी कहा गया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में भोपाल में 10 फरवरी को महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान जबलपुर की शासक मंडल की विशेष बैठक हुई। बैठक में श्री भार्गव ने मिशन अन्त्योदय के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संसाधन केन्द्र में उच्च शिक्षित ज्ञानसाधक व्यक्ति को बाह्य स्त्रोत के जरिये पारिश्रमिक पर रखने के निर्देश दिये। बेहतर परिणाम के लिये संस्थान में कोर संकाय की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने को भी कहा गया। श्री भार्गव ने एक माह बाद संस्थान की गतिविधियों की पुनः समीक्षा करने को कहा। उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर में कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिये मेपआईटी का सहयोग लेने को भी कहा। उन्होंने कहा कि संस्थान की गतिविधियाँ निर्धारित कैलेण्डर के हिसाब से संचालित की जाएं। श्री भार्गव ने संस्थान में 5 से 10 किलोवॉट का सोलर पैनल स्थापित करने के लिये प्रस्ताव देने के निर्देश भी दिये हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग कर संस्थान की गतिविधियों और प्रशिक्षण की जानकारी का प्रचार-प्रसार करने को भी कहा। बैठक में बताया गया कि प्रशिक्षण कैलेण्डर संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संस्थान का न्यूज लेटर 'पहल' नाम से ऑनलाइन उपलब्ध है। बैठक में इसी के साथ विषय सूची अनुसार विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पंचायत राज संचालनालय के संचालक श्री शमीम उद्दीन और संस्थान के संचालक श्री संजय कुमार सराफ मौजूद थे।

नारी सशक्त तो राष्ट्र समृद्ध

एक अंतर आया है गुलाम भारत और आजाद भारत में। यह तस्वीर साफ-साफ दिखती है। गुलाम देश में सर्वाधिक दबाव और दमन किसी का हुआ तो स्त्री का हुआ। तब स्त्री न केवल शिक्षा बल्कि खुली हवा में सांस लेने से भी वंचित हो गई थी। कई बार तो लगता है कि तब उसे एक देहधारी यंत्र से ज्यादा कुछ समझा ही न गया। लेकिन आजादी के बाद माहौल बदला, समाज ने करवट ली और समाज में स्त्री को वह स्थान मिलना आरंभ हुआ। जिसकी वह हकदार है अथवा प्रकृति ने जिस निमित्त उसे संसार में भेजा। हालांकि अभी बहुत काम बाकी है लेकिन शुरुआत हुई और उसकी प्रकृति के कई अध्याय लिखे जा चुके हैं।

यद्यपि आजादी के बाद से नारी की प्रतिभा के विस्तार और उसकी क्षमता का

राष्ट्र की शक्ति-समृद्धि में वृद्धि की अनेक आयोजनाएं आरंभ हुईं, फिर भी मध्यप्रदेश की मौजूदा सरकार ने गति को नए आयाम दिए जिससे अब नारी न केवल आत्मनिर्भर हो रही है, बल्कि राष्ट्र की समृद्धि में योगदान भी दे रही है। यूं तो सरकार ने महिलाओं के समग्र विकास पर ध्यान दिया लेकिन फिर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विकास-विस्तार पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया। इसका कारण यह है कि गांव समृद्धि की बुनियाद है। जिस तरह प्रकृति की समृद्धि से प्राणी का जीवन चलता है, उसी प्रकार गांवों की समृद्धि ही नगरों के विकास का आधार है। अन्न, फल, सब्जी, औषधि सब गांवों से आता है। इन सबके उत्पादन में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का मानसिक एवं बौद्धिक विकास हो, उन्हें समय मिले और न केवल स्वस्थ रहें, बल्कि आज के वातावरण में हर विधा में भागीदार बनें जो भविष्य की बुनियाद के लिए जरूरी है। इस सरकार के कामों में तब और गति आई, जब केंद्र सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को फोकस करके कल्याणकारी योजनाएं आरंभ कीं।

मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ वर्तमान सरकार ने अपने काम की शुरुआत जननी एक्सप्रेस और लाड़ली लक्ष्मी योजना से की। हालांकि यह दोनों योजनाएं प्रदेश भर में लागू हुईं। किंतु इनका सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को हुआ। स्वस्थ और संस्थागत प्रसव की समस्या गांवों में ज्यादा है। अस्पताल दूर है। जननी एक्सप्रेस और संस्थागत प्रसव का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में हुआ एवं इससे मातृ-शिशु मृत्यु के आंकड़ों में 43 प्रतिशत गिरावट आई। इसके अलावा प्रसव के दौरान प्रसूता के रक्तस्राव या अन्य कारणों से जो समस्याएं खड़ी होती थीं, उन पर भी रोक लगी। ठीक उसी प्रकार बेटी के जन्म की समस्या, पढ़ाई की समस्या नगरों से ज्यादा गांवों में रही है। लाड़ली लक्ष्मी योजना से, बेटी बोझ नहीं वरदान से आत्मविश्वास बढ़ा और सरकार ने न केवल बेटियों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लिया, बल्कि स्कूल आने जाने के लिए सायकल योजना से सुगमता मिली।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के हित में सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला जो इस सरकार ने लिया वह पंचायतों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण। यह ठीक है कि इस निर्णय से आरंभ में अनेक पंचायतें ऐसी थीं, जहां महिलाएं चुनाव तो जीत गईं लेकिन उनका अधिकांश कामकाज उनके पति देखते थे। यह बात केवल आरंभिक काल में थी अब समय के साथ महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं और अपना काम खुद देखती हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हालत यह है कि महिलाएं न केवल अपने निर्धारित कोटे के अंतर्गत चुनाव जीतीं, बल्कि उससे अधिक जीत कर आईं। प्रदेश में ऐसे उदाहरण भी हैं कि महिलाएं सामान्य सीटों से भी चुनाव जीतीं। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि महिला सरपंच वाली पंचायतों ने अपेक्षाकृत अधिक कीर्तिमान स्थापित किए। उन्नत खेती और बलराम तालाब जैसी योजनाएं अपेक्षाकृत उन पंचायतों में अधिक क्रियान्वित होते देखी गयीं जहां महिलाएं सरपंच हैं।

महिलाओं के विकास के लिए उठाए गए कदमों का एक और परिवर्तन दिखा। वह यह कि पहले महिलाएं केवल कृषि, श्रमिक के रूप में ही जानी जाती थीं। महिलाएं खेतों में काम तो करती थीं लेकिन किसान नहीं थीं। वे केवल सहयोगी की भूमिका में थीं, श्रमिक की भूमिका में थीं अब वह कृषक भी हैं। गांवों में ट्रेक्टर चलाती हैं, बोवनी करती हैं और कृषि के अन्य काम खुद भी करती हैं तथा अपने अधीन श्रमिक रखकर कृषि भी कराती हैं। महिलाओं को इन तमाम कामों में सहयोग के रूप में सामने आई उज्ज्वला योजना। यह एक ऐसी योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। इससे पहले गांवों की महिलाओं को भोजन बनाने की बड़ी समस्या थी। कई बार तो उन्हें जंगल से लकड़ी भी खुद लेकर आना होता था और फिर धुएं के चूल्हे पर रोटी बनाने से आंखों ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता था। इसमें न केवल समय खर्च होता था, बल्कि शारीरिक रूप से अक्षमता बढ़ती थी, थकान बढ़ती थी जिस कारण वह अन्य कामों के लिए समय और शारीरिक ऊर्जा नहीं बचा पाती थी। इस उज्ज्वला योजना ने उनकी ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान किया। अब ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के पास समय भी बचता है और ऊर्जा भी जिसका उपयोग वे अन्य कामों में करने लगी हैं। और तो और वे गांवों में अब उद्योग भी स्थापित करने लगी हैं।

सरकार के स्वच्छता अभियान का ज्यादातर लाभ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मिला। घरों में शौचालय न होने से न केवल उन्हें बाहर जाना पड़ता था, बल्कि आने-जाने में समय लगता था। सुरक्षा का जोखिम था सो अलग। घरों में शौचालय अभियान से जहां सरकार के स्वच्छता मिशन को गति मिली, उससे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लाभ हुआ। उनकी सुरक्षा का जोखिम कम हुआ। समय बचा जिसे वे अपने कामों में लगा रही हैं। यह जो समय बचा, आत्मविश्वास आया, उससे अब उद्योग लगाने में इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ आश्चर्यजनक आंकड़े सामने आए हैं। वह यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग में अब महिलाओं की दिलचस्पी ज्यादा है। स्वसहायता समूह बैंक सखी बनकर दूर-दराज क्षेत्रों में बैंक सुविधा भी मुहैया करवा रही हैं।

● रमेश शर्मा
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

आर्थिक स्वावलम्बन से महिला सशक्तिकरण

किसी भी परिवार, समाज, प्रांत अथवा देश का विकास तभी संभव है, जब उसमें आधी आबादी की भागीदारी हो। शास्त्र में अर्द्धांगिनीस्वरूप स्त्री शक्ति के आधे प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। समाज की उन्नति के लिए अर्द्धांगिनीस्वरूप आधी आबादी का सशक्त होना जरूरी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ भावी पीढ़ी के सशक्तिकरण का सीधा सम्बंध है। माता के स्वावलम्बन और आत्मविश्वास के परिणाम बच्चों पर सहज ही देखे जा सकते हैं। स्वावलम्बी आत्मविश्वास से लबरेज माताओं के बच्चे भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। अतः सबसे पहले महिला को सशक्त होना जरूरी है। वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राजनीतिक इच्छाशक्ति भी महत्वपूर्ण है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मत है कि आर्थिक स्वावलम्बन से ही महिलाओं का सशक्तिकरण संभव हो सकेगा। इसी अनुरूप प्रदेश में महिलाओं के विकास और स्वावलम्बन की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। मध्यप्रदेश में बड़ा क्षेत्र ग्रामीण है। इसीलिए ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। सबसे पहले प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इस आरक्षण से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा और वे 50 प्रतिशत से अधिक सीटों पर काबिज हुईं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे सिर्फ काबिज ही नहीं हुईं, उनके कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पंचायत प्रतिनिधि पुरस्कृत भी हुई हैं। प्रदेश में इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास की धारा ने नई दिशा तय की है।

“महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप आज महिलाओं की समृद्धि के साथ समाज और प्रदेश की समृद्धि का एक बड़ा प्रतिशत निर्मित हो गया है। गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही दीनदयाल अंत्योदय योजना म.प्र. आजीविका मिशन द्वारा निर्मित स्व-सहायता समूह के अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हुए हैं। महिलाओं की मिलनसार प्रकृति के अनुरूप निर्मित किये गये समूहों ने विकास की दिशा को तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। आजीविका मिशन के दो लाख से अधिक समूहों की बचत ढाई सौ करोड़ के आसपास है। इन समूहों से लगभग 23 लाख परिवार जुड़े हुए हैं।”

प्रदेश सरकार की महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप आज महिलाओं की समृद्धि के साथ समाज और प्रदेश की समृद्धि का एक बड़ा प्रतिशत निर्मित हो गया है। गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही दीनदयाल अंत्योदय योजना म.प्र. आजीविका मिशन द्वारा निर्मित स्व-सहायता समूह के अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हुए हैं। महिलाओं की मिलनसार प्रकृति के अनुरूप निर्मित किये गये समूहों ने विकास की दिशा को तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। आजीविका मिशन के दो लाख से अधिक समूहों की बचत ढाई सौ करोड़ के आसपास है। इन समूहों से लगभग 23 लाख परिवार जुड़े हुए हैं।

पहले जो महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही थीं, इन समूहों में 1 लाख 43 हजार से अधिक सदस्य महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख से ज्यादा है। यह आर्थिक स्वावलम्बन का आत्मविश्वास ही है

आजीविका मिशन के तहत बने स्व-सहायता समूहों की महिलाएं साबुन निर्माण, गुड़-मूंगफली चिक्की निर्माण, हथकरघा, परिधान निर्माण, सेनेटरी नेपकिन निर्माण, मुर्गी पालन तथा अन्य कृषि आधारित कार्य कर रही हैं। जैविक खेती को विस्तारित करने के लिए इन महिलाओं द्वारा वर्मीपिट और नाडेप भी बनाये जा रहे हैं। यही नहीं, इन महिलाओं ने अपनी उत्पादन कंपनियां भी बना ली हैं।

कि इनमें से कई महिलाओं ने अपने बी.पी.एल. कार्ड वापस कर दिए हैं।

आजीविका मिशन के तहत बने स्व-सहायता समूहों की महिलाएं साबुन निर्माण, गुड़-मूंगफली चिक्की निर्माण, हथकरघा, परिधान निर्माण, सेनेटरी नेपकिन निर्माण, मुर्गी पालन तथा अन्य कृषि आधारित कार्य कर रही हैं। जैविक खेती को विस्तारित करने के लिए इन महिलाओं द्वारा वर्मीपिट और नाडेप भी बनाये जा रहे हैं। यही नहीं, इन महिलाओं ने अपनी उत्पादन कंपनियां भी बना ली हैं। इसका सफल उदाहरण है महिलाओं की दस मुर्गी उत्पादक कम्पनियों में 5,174 महिलाएं मुर्गी पालन तथा मुर्गियों के व्यापार का कार्य कर रही हैं। वर्ष 2016-17 में इन महिलाओं ने लगभग 175 करोड़ रुपये का व्यापार किया। महिलाओं का स्व-सहायता समूह से आरम्भ किया गया कार्य करोड़ों के टर्नओवर में तब्दील हो गया। यह मध्यप्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन का उज्ज्वल पक्ष है।

आज प्रदेश में जहां महिलाओं ने आर्थिक स्वावलम्बन का परचम लहराया है, तो इसके पीछे सरकार का साथ है। स्व-सहायता समूह बनाने से लेकर आर्थिक गतिविधियों में आने वाली हर कठिनाई में शासन का सहयोग रहा है। तकनीकी परामर्श, प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग सभी स्तर पर इन समूहों को म.प्र. राज्य आजीविका मिशन द्वारा मदद प्रदान की गयी। इन महिलाओं के सफल परिणामों को देखकर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि स्व-सहायता समूह के फेडरेशन को टेक होम राशन निर्माण की फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी दी जायेगी। कार्य की सुनिश्चितता के साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि महिला स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन को मिलने वाले पांच करोड़ तक के लोन की बैंक गारंटी सरकार देगी तथा राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित और अन्य स्व-सहायता समूह द्वारा लिये गये ऋण पर देय ब्याज का तीन प्रतिशत ब्याज सरकार चुकायेगी। उन्हें स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा।

सरकार द्वारा स्व-सहायता समूह को नई जिम्मेदारियाँ भी दी गयी हैं। इनमें सांझा चूल्हा के तहत प्रदेश में कई स्व-सहायता समूहों द्वारा विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन तथा आंगनवाड़ी में गर्म पोषण आहार उपलब्ध किया जा रहा है। यह समूह लगभग 1500 करोड़ रुपये का कार्य कर रहे हैं। इन स्व-सहायता समूहों को आहार प्रदान किये जा रहे गुणवत्ता के आधार पर पूरक पोषण आहार निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

आर्थिक स्वावलम्बन की ओर उठे इन कदमों की संख्या काफी व्यापक है। अब यह महिलाएं दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। प्रदेश की 5 हजार से अधिक महिलाएं कृषि सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति के रूप में अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कम लागत की कृषि और जैविक कृषि का प्रशिक्षण दे रही हैं। हमारे प्रदेश की महिलाएं जैविक खेती के लिए मध्यप्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं।

कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन के साथ समूह की महिलाएं सब्जियों का उत्पादन भी कर रही हैं। समूह द्वारा अपनी सब्जियों और अन्य पदार्थों की बिक्री के लिए 472 आजीविका फ्रेश चलाये जा रहे हैं।

इसके अलावा शासन द्वारा समूह सदस्यों से स्कूल यूनिफार्म निर्माण, बिजली मीटर रीडिंग तथा बिल वितरण, स्वच्छता मिशन के स्वच्छता दूत और सोशल ऑडिट के कार्य भी करवाये जा रहे हैं। इन कार्यों से आर्थिक स्वावलम्बन के साथ इन महिलाओं का समाज में मान बढ़ा है।

मध्यप्रदेश में शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में अनूठा योगदान दिया। अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हुए हैं। यह परिणाम निश्चित ही मध्यप्रदेश की प्रगति में बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली लगभग 1.43 लाख महिलाएं बी.पी.एल. की श्रेणी से बाहर आ गई हैं। महिलाओं के इस आर्थिक उन्नयन से उनके बच्चों में भी आत्मविश्वास बढ़ा है। यह आत्मविश्वासयुक्त भविष्य, समाज और देश को आत्मनिर्भर करने में अहम भूमिका निभायेगा। आधी आबादी के आर्थिक उन्नयन से निश्चित ही प्रदेश विकास का परचम लहरायेगा।

● **अभिषेक सिंह**
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

समृद्ध होतीं ग्रामीण मध्यप्रदेश की महिलाएं

सीधी जिले के मडवा गाँव की श्रीमती ललिता साहू 2010 में आजीविका के सरस्वती स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। वे पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही थीं। समूह से जुड़ने के बाद इन्होंने सब्जी उत्पादन शुरू किया।

कृषि की सीआरपी तकनीक अपनाई और साथ में किराना विक्रय की दुकान भी खोली। ललिता साहू अथक परिश्रम से बुककीपर तथा कृषि सखी भी बनीं। उन्होंने सब्जी का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। इससे उनकी वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो गयी। अब वे गरीबी रेखा के ऊपर पहुँच गयी हैं तथा लखपति क्लब की सदस्य भी बन गयी हैं। श्रीमती ललिता साहू की प्रगति से प्रेरणा लेकर आसपास के गाँवों के स्व-सहायता समूहों के 25 परिवारों ने भी सब्जी का उत्पादन जैविक पद्धति से शुरू किया और अब वे भी लखपति की श्रेणी में आ गयी हैं।

बड़वानी जिले के सेंधवा विकासखण्ड के सैमल्या गाँव की श्रीमती किरण, कविता, स्व-सहायता समूह से जुड़कर बैंक सखी बनीं और दूरदराज के लोगों को बैंक सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। पहले इनके पति रिक्शा चलाते थे। घर का खर्चा बमुश्किल निकल पाता था। किरण ने समूह से जुड़कर पति की होटल खुलवायी, अब उनका यह कार्य अच्छा चलने लगा। अब दोनों पति-पत्नी ने मिलकर प्लाट भी खरीद लिया है और अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र प्रदेश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन में ग्रामीण महिलाओं के स्वावलम्बन के लिए कई योजनाएं तथा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्धन परिवारों की महिलाओं के स्व-सहायता समूह बनाकर उन्हें आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया। आजीविका मिशन के दो लाख से अधिक स्व-सहायता समूह स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हैं। मध्यप्रदेश ग्रामीण बहुल प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्र की आधी आबादी द्वारा विकास की धारा में की जा रही भागीदारी निश्चित ही प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी विकास गाथा स्वयं लिखी है। इनमें से कुछ सफल गाथाओं को प्रकाशित किया जा रहा है।

साबुन का उत्पादन

सामूहिक प्रयास से स्वावलम्बन का उदाहरण है बालाघाट जिले के कोहकरडीवर गाँव की महिलाएं। ये महिलाएं साबुन का उत्पादन कर विक्रय भी कर रही हैं।

स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि अवंतीबाई स्व-सहायता समूह से जुड़ने से पूर्व हम लोग मजदूरी करते थे। गरीबी रेखा के नीचे जैसे-तैसे जीवनयापन कर रहे थे। आजीविका मिशन के अवंती बाई स्व-सहायता समूह से जुड़कर हमारा जीवन ही बदल गया। हमारे जीवन में खुशियां आ गयी हैं। बालाघाट जिले से 15 किलोमीटर दूरी पर बसें इस गाँव में आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं के 13 समूह गठित किये गये। रानी अवंतीबाई उन्हीं समूहों में से एक है।

इस समूह की 15 महिलाओं ने बचत की शुरुआत 20-20 रुपये से की थी। आज समूह की बचत 40 हजार से ज्यादा हो गई है। इन महिलाओं को आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान गोंगलई बालाघाट में साबुन निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने पहले घर में साबुन बनाना शुरू किया। धीरे-धीरे व्यवसाय बढ़ा और अब तक ये महिलाएं 5 क्विंटल साबुन का निर्माण कर चुकी हैं। इस साबुन की गुणवत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि स्व-सहायता समूह के भोपाल आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से घोषित किया था कि आजीविका समूह के साबुन की गुणवत्ता किसी भी अन्य ब्रॉण्डेड साबुन से कम नहीं है।

कागज के थैले बनाकर आय प्राप्त कर रही हैं महिलाएं

विगत दिनों मध्यप्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के थैलों को प्रतिबंधित कर दिया है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्मित स्व-सहायता समूहों ने आजीविका मिशन के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया। भविष्य में कागज के लिफाफे तथा थैलों की मांग बढ़ेगी। इस संभावना को देखते हुए कार्य शुरू कर दिया। आजीविका मिशन से जुड़ी 33 जिलों की 70 महिलाओं ने भोपाल में मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण लिया। ये महिलायें स्वयं का उद्योग भी चला रही हैं तथा अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देने में भी दक्ष हैं। सागर जिले के देवरी विकासखण्ड के ग्राम गोरुआ की श्रीमती प्रीति पटेल जो पहले मजदूरी करती थीं, ने आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह से जुड़कर कृषि सखी का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपनी 4 एकड़ कृषि भूमि में उन्नत कृषि विधि अपनाई और अब वर्ष भर में वे 2 लाख रुपये से अधिक आय प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने अपना चार कमरों का पक्का मकान भी बनवा लिया।

अपनी खेती को उन्नत करने के साथ कृषि सखी प्रीति अपने आसपास के गाँवों में प्रशिक्षण भी दे रही हैं।

● **मनोज खरे**
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

नवाचार में अग्रणी ग्राम पंचायत कोदरिया की सरपंच अनुराधा जोशी

यदि हौंसले बुलंद हों, प्रबल इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह साबित कर दिखाया है कोदरिया की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी ने। स्व-कराधान, स्वच्छता, कैशलेस ट्रांजेक्शन, निर्माण कार्य, आवास निर्माण के अतिरिक्त श्रीमती जोशी ने कई नवाचार भी शुरू किये हैं। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आर ओ वॉटर की पहल तथा महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये सेनेटरी नेपकिन यूनिट की स्थापना की पहल को पूरे देश में सराहा भी गया और सम्मानित भी किया गया है।

पंचायत में नवाचार कर अनूठी उपलब्धि प्राप्त अनुराधा जोशी को विगत दिनों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हैदराबाद NIRD (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान) में आमंत्रित किया गया। अनुराधा द्वारा महिलाओं के स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के साझे परिणाम सेनेटरी नेपकिन निर्माण की यूनिट स्थापित करने पर सम्मानित भी किया गया। हैदराबाद में अनुराधा ने 12 प्रदेशों से आमंत्रित 40 महिलाओं में से प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कार्यों को बताया।

उल्लेखनीय है कि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी पंचायत कोदरिया का प्रतिनिधित्व करती सरपंच अनुराधा के लिये यह पहला अवसर नहीं था। इसके पूर्व अनुराधा ने कानपुर के ईश्वरीगंज में 'स्वच्छता ही सेवा' पर महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविद के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में अपने नवाचारों से महामहिम को अवगत कराया था। हर्ष की बात यह है कि अनुराधा एकमात्र सरपंच थीं, जिन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अनुराधा को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपला तथा प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भोपाल में आयोजित 'उत्कर्ष सरपंच सम्मेलन' में उत्कर्ष सरपंच के रूप में सम्मानित किया था।

हाल ही में अनुराधा ने अपने ग्राम कोदरिया में सेनेटरी नेपकिन निर्माण की युनिट की स्थापना कर महिलाओं को प्रशिक्षण तथा रोज़गार प्रदान करने का अनुकरणीय कार्य किया है। यूनिट की शुरुआत को लेकर बात करने पर श्रीमती अनुराधा ने बताया कि पहले हमने ग्राम में रोजगार प्रशिक्षण के लिये बने पंचायत के बड़े हॉल में लगभग 200 महिलाओं को लेकर सेनेटरी नेपकिन निर्माण का प्रशिक्षण देकर काम शुरू किया, लेकिन वहाँ आस-पास निवास करने वाले आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया। मुझे हर हाल में गाँव की महिलाओं के लिये यह कार्य शुरू करना था। कार्य बाधित न हो इसलिये मैंने अपने घर में ही सेनेटरी नेपकिन निर्माण की यूनिट स्थापित की। शुरुआत में 40 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और नेपकिन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर महिलाओं को रोज़गार दिया। श्रीमती अनुराधा से कोदरिया में शुद्ध पेयजल वितरण को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अच्छे कार्य करने वाली पंचायतों के सरपंचों को ग्रामीण भारत की प्रमुख पंचायतों के शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया था। वहाँ मैंने एक पंचायत में मिनरल आरओ ATM प्लांट देखा। वहाँ से लौटकर आने के बाद तुरंत प्रयास किये और अपनी पंचायत में भी मिनरल आरओ वाटर ATM प्लांट स्थापित किया। इस आरओ वॉटर ATM के द्वारा ग्रामीणों को 1 रुपये में 1 लीटर तथा 8 रुपये में 20 लीटर शुद्ध आरओ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर पूछे जाने पर सरपंच ने यह भी जानकारी दी कि हमारी पंचायत काफी पहले ही खुले में शौच से मुक्त हो गई है। अब हमने पंचायत की अपनी आय से स्वच्छता वाहन (कचरा गाड़ी) खरीदा है। हर घर से गीला तथा सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र किया जाता है। इस कचरे का उपयोग खाद बनाने में किया जा रहा है। सशक्त पंचायत बनाने की दिशा में अनुराधा जी ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि पंचायत में जल कर, सम्पत्ति कर तथा अन्य करों से वर्ष भर में लगभग 20-22 लाख रुपये से अधिक की आय हो जाती है। प्रदेश में स्व-कराधान में अग्रणी पंचायत कोदरिया की सरपंच ने दिल्ली सिटी फॉर स्टेडियम में आयोजित सरपंच सम्मेलन तथा चित्रकूट में नानाजी देशमुख शोध संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेकर स्व-कराधान से अपनी पंचायत की आय बढ़ाने को लेकर व्याख्यान भी दिये हैं। मध्यप्रदेश द्वारा चलाये जा रहे आनन्द महोत्सव को पिछले दो वर्षों से कोदरिया में उत्साह के साथ मनाया जाता है। श्रीमती अनुराधा जोशी ने अपनी पंचायत को श्रेष्ठ पंचायत बनाने का कार्य किया, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली और सम्मान भी। कोदरिया पंचायत से प्रेरित होकर आसपास की ही नहीं, देश की कई पंचायतें उनके द्वारा किये गये नवाचारों को अनुसरित कर रही हैं। प्रदेश के विकास में त्रि-स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के ऐसे अनुकरणीय उदाहरण ही समृद्धि के आधार हैं।

● प्रस्तुति : रीमा राय

स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट योगदान के लिये उत्तरप्रदेश में

ग्यारह हजार महिलाएं हुईं सम्मानित

गांवों के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना बेमानी है। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार लगातार ग्रामीण विकास के लिए कदम उठा रही है। मध्यप्रदेश के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों में भी ग्रामीण विकास के लिए नवाचार किये जा रहे हैं। 'अन्य प्रांतों से' स्तंभ में हम देश के अन्य राज्यों में चलायी जा रही योजनाओं, नवाचारों और कार्यक्रमों की जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं।

स्वच्छ भारत के निर्माण के बिना स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ किया। इस मिशन का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री के इस कल्याणी मिशन को सफल बनाने के लिये सभी राज्यों की सरकारें और जनता अपना योगदान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में महिलायें अहम भूमिका निभा रही हैं। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने स्वच्छता के महत्व को समझते हुए अपने आस-पास के परिवेश को साफ-सुथरा रखने की पहल की है। इन्हीं महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिये उत्तरप्रदेश के लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ शक्ति 2018 महिला समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने देश भर की 8 हजार महिला सरपंचों और 3 हजार महिला स्वच्छग्राहियों को स्वच्छ भारत बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिये सम्मानित किया।

उल्लेखनीय है कि भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाने के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 9 राज्यों, 2 संघशासित क्षेत्रों, 314 जिलों और 3.23 लाख गाँवों को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है। मिशन के अंतर्गत देश में स्वच्छता का दायरा भी 38.70 प्रतिशत से बढ़कर 78.98 प्रतिशत तक पहुँच गया है। देश के विभिन्न राज्यों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागृत करने तथा प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे स्वच्छ भारत का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम के जरिये स्वच्छता अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रतिवर्ष महिला स्वच्छग्राहियों को सम्मानित किया जाता है।

● प्रस्तुति : मोहन सिंह पाल

झारखण्ड में पन्द्रह लाख महिलाओं ने चलाया स्वच्छता अभियान

भारत में महिलायें आज भी विकास की राह में पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। देश महिला विकास (वुमेन डेवलपमेंट) से आगे बढ़कर महिला के नेतृत्व में विकास (वुमेन लेड डेवलपमेंट) की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं बातों को साकार किया है झारखण्ड की महिलाओं ने। झारखण्ड में 15 लाख महिलाओं ने संगठित होकर एक माह का स्वच्छता अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत महिलाओं ने एक माह में 1 लाख 70 हजार शौचालयों का निर्माण किया। इस अभियान को 14 लाख महिलाओं, 1 लाख सखी मंडल, 2 हजार महिला पंचायत प्रतिनिधि, 29 हजार जलसहिया, 10 हजार महिला स्वच्छग्राही और 50 हजार महिला राज मिस्त्री ने मिलकर सफल बनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में इस अभियान की सफलता के लिये महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि झारखण्ड की महिलाओं ने दिखाया है कि महिला शक्ति, स्वच्छ भारत की एक ऐसी शक्ति है, जो सामान्य जीवन में स्वच्छता के अभियान को, स्वच्छता के संस्कार को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करके रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि नया भारत ऐसा हो जहाँ नारी सशक्त हो, सबल हो और देश के विकास में बराबर की भागीदार हो। झारखण्ड की महिलाओं ने अपने अभियान को सफल बनाकर देश में महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने में जुटी महिलाओं के सामने एक नई मिसाल कायम की है।

पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रों में ही अनुदान राशि का उपयोग करेंगे

जिला एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधि अपनी अनुदान राशि का उपयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिये कर सकेंगे। इस आशय के दिशा-निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सांसदों एवं विधायकों की तरह ही जनपद और जिला पंचायतों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को अनुदान राशि मुहैया करवाई जाती है। इसके तहत विकल्प पर जिला पंचायत के अध्यक्ष 25 लाख रुपये, उपाध्यक्ष 15 लाख रुपये तथा प्रत्येक निर्वाचित सदस्य 10 लाख रुपये की राशि के कार्य क्षेत्र में स्वीकृत कर सकेंगे। इसी प्रकार जनपद पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के विकल्प पर 12 लाख रुपये, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर 8 लाख रुपये तथा जनपद पंचायत सदस्य के विकल्प पर 4 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं।

मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि इस राशि के सदुपयोग के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। तदनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष सम्पूर्ण जिले में, जनपद पंचायत अध्यक्ष अपने सम्पूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्र में तथा जिला और जनपद पंचायत के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अधोसंरचना विकास के कार्य स्वीकृत कर सकेंगे।

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जा सकने वाले कार्यों के अंतर्गत सीमेंट-कांक्रीट रोड एवं नाली निर्माण, रपटा या पुलिया निर्माण, शासकीय भवन की बाउण्ड्री-वॉल, शासकीय भवनों का निर्माण, जिनमें सामुदायिक भवन, शाला भवन, आँगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, शासकीय भवनों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय निर्माण, श्मशान-कब्रिस्तान बाउण्ड्री-वॉल, ग्राम चौपाल, रंगमंच निर्माण, सार्वजनिक चबूतरे, शासकीय सम्पत्तियों के भीतर पेवर ब्लॉक, एलईडी स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक और शासकीय भवनों में शौचालय निर्माण, स्पॉट सोर्स नल-जल योजना, भू-स्तर टंकी का निर्माण, आर.ओ. वॉटर प्लांट के लिये इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन पेयजल परिवहन पर व्यय, मुरमीकरण, ग्रेवल रोड, स्टॉप-डेम या चेक-डेम निर्माण, स्वागत-द्वार, सौर-ऊर्जा लाइट और पानी का टैंकर क्रय प्रतिबंधित रहेंगे।

राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जा सकने वाले कार्यों के अंतर्गत सीमेंट-कांक्रीट रोड एवं नाली निर्माण, रपटा या पुलिया निर्माण, शासकीय भवन की बाउण्ड्री-वॉल, शासकीय भवनों का निर्माण, जिनमें सामुदायिक भवन, शाला भवन, आँगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, शासकीय भवनों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय निर्माण, श्मशान-कब्रिस्तान बाउण्ड्री-वॉल, ग्राम चौपाल, रंगमंच निर्माण, सार्वजनिक चबूतरे, शासकीय सम्पत्तियों के भीतर पेवर ब्लॉक, एलईडी स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक और शासकीय भवनों में शौचालय निर्माण, स्पॉट सोर्स नल-जल योजना, भू-स्तर टंकी का निर्माण, आर.ओ. वॉटर प्लांट के लिये इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

इन कार्यों के लिये सक्षम प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य होगा। क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत का ही चयन करना होगा। सहमति के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा भी कार्य करवाया जा सकेगा। इन कार्यों का निरंतर पर्यवेक्षण भी किया जायेगा। कार्य स्वीकृति पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। अनियमितता की शिकायत पर सरपंच और सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

कुपोषण नियंत्रण में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था वरदान सिद्ध हुई

कुपोषण के विरुद्ध प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान में 'मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम' वरदान सिद्ध हो रहा है। प्रदेश के 85 विकासखण्डों की 25 हजार प्राथमिक शालाओं के 11.50 लाख विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोषण-आहार के रूप में गुड़ और मूंगफली की चिक्की प्रदान की जाती हैं। इसी

- **प्रदेश में एक लाख 14 हजार प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के 60 लाख बच्चों को मिल रहा है मध्यान्ह भोजन।**
- **85 विकासखण्डों की 25 हजार प्राथमिक शालाओं के 11.50 लाख विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में गुड़ और मूंगफली की चिक्की दी जा रही है।**

तरह मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की एक लाख 14 हजार प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के 60 लाख से अधिक बच्चों को प्रतिदिन स्वादिष्ट मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है। यह जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भोपाल में दी।

मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि प्रदेश में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004 में विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के प्रथम चरण में यह योजना केवल प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गई थी। वर्ष 2008 से माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के लिये भी मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के एक लाख 14 हजार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में दर्ज 64 लाख 11 हजार छात्र-छात्राओं में से 60 लाख 31 हजार बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम में पारदर्शिता, नियमितता और गुणवत्ता नियंत्रण के लिये स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ही विद्यालयों में भोजन तैयार कर दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समूहों को खाद्यान्न राज्य स्तर से सीधे प्रदाय किया जाता है।

श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषण के विरुद्ध जंग से भी इस योजना को जोड़ा गया है। प्रदेश के 85 विकासखण्ड के 25 हजार विद्यालयों के 11.50 लाख विद्यार्थियों को योजना के माध्यम से अतिरिक्त पोषण-आहार सप्ताह में तीन दिन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 35 हजार 416 विद्यालयों को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं, जिनसे मध्यान्ह भोजन तैयार किया जाता है।

श्री भार्गव ने जानकारी दी कि विद्यालय में रसोई-घर की स्वच्छता और भोजन की पौष्टिकता को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक जिले में तीन स्वच्छ किचन को क्रमशः 50 हजार, 30 हजार और 20 हजार रुपये का पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।

महिला सरपंच के नेतृत्व में हुआ गाँव का विकास

होशंगाबाद विकासखण्ड की प्रथम ओडीएफ ग्राम पंचायत रंढाल आज भी अपनी निरंतरता बनाये हुए हैं। 28 अक्टूबर 2015 को ग्राम पंचायत रंढाल को जिला प्रशासन होशंगाबाद द्वारा खुले में शौच मुक्त का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। इस पंचायत का नेतृत्व महिला सरपंच श्रीमती चंदा बाई साहू के द्वारा किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत में जहां लोग खुले में शौच करने जाते थे आज गांव का कोई व्यक्ति खुले में शौच करने के बारे में सोचता भी नहीं है। ग्राम में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया गया है, कई निर्माण कार्य किये गये हैं जिससे ग्रामीणों को सुविधायें मिली हैं। अनुकरणीय कार्यों और नवाचारों के लिए रंढाल पंचायत को कई पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं।

जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत रंढाल में 307 परिवार निवासरत हैं, जिसकी जनसंख्या 1550 है। आज से 15 वर्ष पूर्व गांव में जाना मुश्किल था। बारिश के चार माह गांव का जुड़ाव शहर से नहीं रहता था। आज गांव तक पक्का रोड बना है। पूरे ग्राम में आर.सी.सी. का रोड बना हुआ है।

ग्राम पंचायत में लगभग 80 प्रतिशत नाली निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। हितग्राहीमूलक योजनाओं में ग्राम में 135 शौचालयों का निर्माण कार्य निर्मल भारत अभियान द्वारा किया गया था एवं 9 शौचालयों का निर्माण कार्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत 60 पक्के मकानों का लाभ हितग्राहियों को दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास का लाभ 18 हितग्राहियों को दिया गया है। पूर्व में भी 05 हितग्राहियों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है। ग्राम में जहां लोग कच्चे मकान में पन्नी की बनी दीवार में रहते थे आज उनके लेंटर के मकान बने हुए हैं। ग्राम पंचायत में 12 कपिल धारा कूप का निर्माण भी हितग्राहियों के खेतों में किया गया है। जिससे खेती सिंचित हुई है। ग्राम में 70 असहाय लोगों को शासन द्वारा दी जा रही पेंशन योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है।

मनरेगा योजना से 02 सुदूर ग्राम सड़कों का निर्माण किया है, जिससे लोगों को खेतों में जाने के लिये रोड की सुविधा प्राप्त हुई है। ग्राम में 20 गोबर गैस संयंत्र लगे हुए हैं एवं 10 का प्रस्ताव भेजा है तथा गोबर गैस से लोगों के घरों में गैस का उपयोग कर भोजन बनाने तथा अन्य घरेलू कार्य में सहयोग मिलता है। ग्राम पंचायत में कूड़ा करकट के निपटान के लिए 02 नाडेप भी बनाये गये हैं जिसमें ग्रामीण कचरा डालते

हैं। इस कचरे को सफाई कर्मी के द्वारा खाली किया जाता है।

ग्राम पंचायत में 2008 से लगातार नल जल योजना चल रही है, जो अपनी निरंतरता बनाये है। ग्राम में 180 परिवारों के पास नल के कनेक्शन हैं। जिनके घर में पानी जाता है, वे ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत को जल कर प्रदान करते हैं जिससे योजना का रखरखाव होता है तथा कर्मचारियों का मानदेय भी प्रदाय किया जाता है। ग्राम पंचायत में टेक्स की राशि से ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी नियुक्त किया गया है, जो ग्राम की साफ-सफाई करता है।

ग्राम में प्रमुख सुविधायें

हायर सेकेन्ड्री तक स्कूल

ग्राम में शिक्षा का स्तर अच्छा है। पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई ग्राम में ही हो जाती है। स्कूल के एक ही कैंपस में सभी शालाएं और आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि जहां पहले लड़कियाँ 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई बंद कर देती थीं आज गांव ही नहीं आसपास के गांव की लड़कियां भी गांव में पढ़ाई कर पा रही हैं।

खेल मैदान

ग्राम पंचायत में स्कूल परिसर में खेल मैदान बना हुआ है, जहां पर बच्चे इसका उपयोग करते हैं। यहां बच्चे क्रिकेट, बॉलीबॉल, कबड्डी आदि खेलते हैं।

पशु चिकित्सालय

ग्राम में पशु चिकित्सालय बना हुआ है जिसमें ग्राम के पशुओं के लिये स्वास्थ्य सुविधायें हैं। पशुओं के बीमार होने पर उनका इलाज किया जाता है।

रंढाल पंचायत को मिले पुरस्कार

- ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने पर 26 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा सरपंच श्रीमती चंदा साहू को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।
- **पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार-** वर्ष 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया जिसमें ग्राम पंचायत को 8 लाख रुपये तथा प्रशस्ति पत्र दिया गया।
- **उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला सरपंच को पुरस्कार-** मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अक्टूबर 2017 को महिला सरपंच द्वारा अच्छा कार्य करने पर पुरस्कृत किया गया।

सामुदायिक भवन

ग्राम में सामुदायिक भवन बना हुआ है, जो ग्रामीणों के परिवारों में होने वाले कार्यक्रमों के लिये उपयोग किया जाता है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

ग्राम पंचायत में दो आंगनवाड़ी केन्द्र बने हुए हैं। दोनों शासकीय भवन हैं, जिसमें सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों में गांव के बच्चे आते हैं।

पंचायत भवन

ग्राम पंचायत में पंचायत भवन एवं ई-पंचायत कक्ष है, जिसमें ग्रामीणों के लिये सुविधायें हैं। ग्राम में ग्रामीण अपनी समस्याओं को सीधे ग्राम पंचायत में बताकर हल करवाते हैं। पंचायत के माध्यम से ग्रामीणों से आवेदन लेकर इसका निराकरण किया जाता है।

नर्मदा घाट

ग्राम पंचायत में नर्मदा का घाट है। इस घाट का उपयोग ग्रामीणजन नहाने के लिए तथा खेती में सिंचाई के लिए करते हैं।

कहाँ : जिला होशंगाबाद, ग्राम रंढाल।
समस्या : खुले में शौच।
समाधान : खुले में शौचमुक्त पंचायत।

● **रामकुमार गौर**
(ब्लॉक समन्वयक होशंगाबाद, स्वच्छ भारत मिशन)

- मध्यप्रदेश बना देश में सर्वाधिक यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड जनरेट करने वाला राज्य।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वर्ष 2006 से अब तक 4 लाख 27 हजार बेटियों के विवाह में 7 करोड़ 23 लाख से अधिक राशि व्यय की गयी।
- वर्ष 2012 में 10 हजार 678 मुस्लिम कन्याओं के निकाह के लिए 19 लाख 54 हजार रुपये की सहायता राशि दी गयी।
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में 10 हजार निःशक्तजन को 2 लाख रुपये के मान से 197 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी।
- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में लगभग 4 लाख 46 हजार खेतिहर मजदूरों को 192 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि दी गयी।
- सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 36 लाख हितग्राहियों को 116 करोड़ रुपये की पेंशन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खातों में प्रतिमाह की पहली तारीख को जमा करवायी जा रही है।

55 लाख जरूरतमंदों को 513 करोड़ रुपये की मदद

सामाजिक कल्याण के क्षेत्र

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर सामाजिक रूप से पिछड़े और शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विकास की मुख्य-धारा से जोड़ने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को राष्ट्रीय-स्तर पर भी सराहा गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन में किये गये कार्यों के लिए प्रदेश को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से 55 लाख जरूरतमंदों को 513 करोड़ की सहायता राशि विभिन्न योजनाओं में दी गई है। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण श्री अशोक शाह ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वर्ष 2006 से अभी तक करीब 4 लाख 27 हजार गरीब जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिये 7 करोड़ 23 लाख रुपये से ज्यादा की राशि सहायता स्वरूप दी जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए वर्ष 2012 से मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत करीब 10 हजार 678 मुस्लिम कन्याओं के निकाह के लिये 19 लाख 54 हजार की सहायता राशि दी गई है।

इसी क्रम में सरकार द्वारा शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिये निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। योजना में करीब 10 हजार निःशक्तजनों को दो लाख रुपये के मान

सफलता की कहानी : आजीविका मिशन

आभा विद्युत मित्र योजना में महिलाएँ कर रही हैं मीटर-रीडिंग और बिलों की वसूली

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित महिलाओं के स्व-सहायता समूह (आभा योजना) के माध्यम से रायसेन, विदिशा और राजगढ़ जिले के 10-10 ग्रामों में बिजली मीटर-रीडिंग, बिल वितरण एवं राजस्व वसूली के कार्य किये जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। जहां पहले बिजली बिलों का भुगतान 20 प्रतिशत से भी कम था। वहां चयनित ग्रामों में जनवरी में बिजली बिलों का 70 से 85 प्रतिशत भुगतान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को प्राप्त हुआ है। रायसेन जिले में 10 ग्रामों मेंढकी, सुनारी, उचेर, राजीव नगर, जमुनिया, खंडेरा, नकतरा,

देश में सर्वाधिक यू.डी.आई.डी. कार्ड तैयार

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक निःशक्त व्यक्ति का डाटाबेस तैयार करने का विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। यह प्रक्रिया फरवरी-2017 से प्रारंभ की गई। अभी तक एक लाख 67 हजार कार्ड पोर्टल के माध्यम से बनाये जा चुके हैं। इससे मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड जनरेट करने वाला राज्य बन गया है।

राष्ट्रीय-स्तर पर सराहना

राज्य सरकार के निःशक्तजन कल्याण विभाग को उसकी कार्य-प्रणाली के लिये 'सर्वोत्तम नियोक्ता तथा प्लेसमेंट एजेंसी' का वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2014-15 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वरिष्ठ नागरिकों

में मध्यप्रदेश को मिली राष्ट्रीय सराहना

से लगभग 197 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में लगभग 4 लाख 46 हजार खेतिहर मजदूरों को 192 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि दी गई है। यह सहायता बच्चों की छात्रवृत्ति, विवाह सहायता आदि के रूप में दी गई है। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से 36 लाख हितग्राहियों को 116 करोड़ रुपये की पेंशन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खातों में प्रतिमाह पहली तारीख को जमा करवाई जा रही है। पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। साथ ही निःशक्तजन एवं विधवा पेंशन की स्वीकृति के अधिकार पंचायत सचिव को प्रदान कर दिये गये हैं।

की सेवाओं के लिये राष्ट्रीय 'वयोश्रेष्ठ सम्मान' वर्ष 2013-14 में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार नेशनल ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2012-13 में स्पर्श पोर्टल, वर्ष 2015-16 में समग्र पोर्टल एवं वर्ष 2016-17 में स्टेट पेंशन पोर्टल के राष्ट्रीय पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा विभाग को दिये गये हैं।

नरवर, पगनेश्वर एवं पठारी जैसे ग्रामों में आभा विद्युत मित्र योजना के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह ने मीटर-रीडिंग, बिल वितरण और राजस्व संग्रहण का कार्य किया है और यहाँ 80 फीसदी से भी अधिक उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा किये हैं।

इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और प्रत्येक स्व-सहायता समूह को 6 हजार रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। साथ ही मीटर-रीडिंग, बिल वितरण, राजस्व वसूली ओर नये कनेक्शन के लिये प्रोत्साहन राशि भी दी जायेगी। इस प्रकार महिला स्व-सहायता समूह को माह में 10 से 15 हजार रुपये की आय परफार्मेंस के आधार पर हो सकेगी।

इससे जहाँ एक ओर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याएँ तेजी से हल हो रही हैं। रायसेन में कम्पनी के अधिकारियों के लिये यह प्रयोग किसी चमत्कार से कम नहीं है।

कहाँ : रायसेन, राजगढ़, विदिशा जिलों में।
समस्या क्या : बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता था।
समाधान : आभा विद्युत मित्र योजना के कारण लोग बिजली का बिल जमा करने लगे।

उनका कहना है कि 30 दिन में बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है और आभा विद्युत मित्र द्वारा सभी विद्युत वितरण के कार्य सुचारु रूप से संचालित किये जा रहे हैं। जो लोग बिल जमा नहीं कर रहे थे, अब वे भी जमा करने लगे हैं। 23 वर्षीय आभा मित्र सुश्री पूजा नकतरा गाँव में बिल वितरण का काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गाँव के लोग उन्हें जानते हैं, जिससे बिल वसूली में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है।

सुश्री कृष्णा विश्वकर्मा नरवर गाँव के संबंध में बताती हैं कि औसत राजस्व संग्रहण साढ़े तीन लाख से भी कम था, लेकिन अब यह साढ़े पाँच लाख रुपये से भी ज्यादा आ रहा है।

महिला सरपंच के प्रयासों से कौडिया ग्राम में विकास के नए आयाम

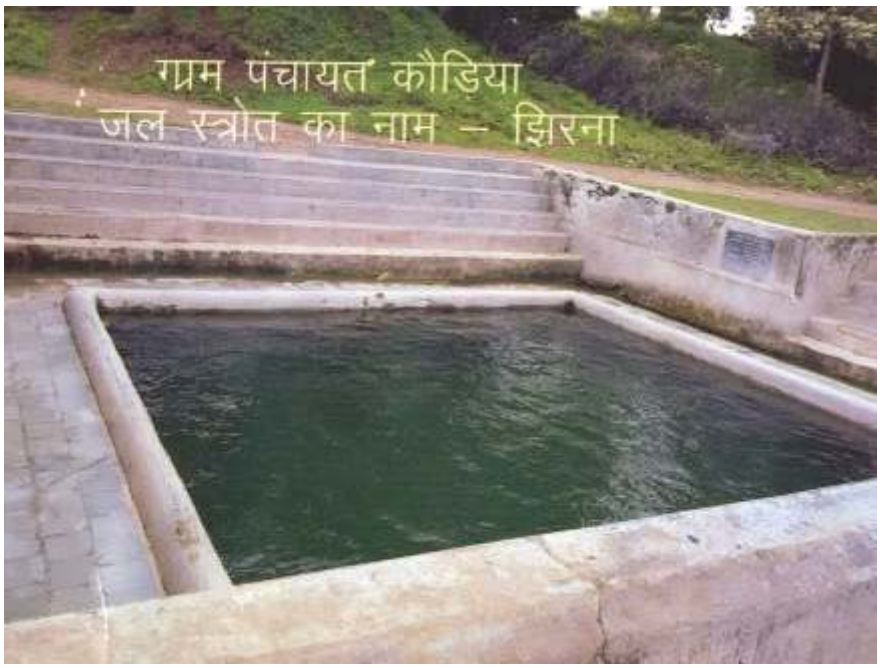

स्वच्छता अभियान को अपनी पहली प्राथमिकता बनाकर सर्वप्रथम ग्राम में पूर्व से निर्मित सभी नालियों को साफ करवाया गया और आवश्यकतानुसार रिपेयरिंग करवाई गई। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए आवश्यकतानुसार प्रत्येक मोहल्ले में बोरिंग करवाकर सभी ग्रामवासियों को नल कनेक्शन दिए गए। प्रकाश की बचत के लिए सभी पोलों पर एलईडी बल्ब लगवाए गए। गांव की नालियों का और सीमेंटेड सी.सी. रोड का निर्माण करवाया गया। गांव की सभी रोड-नालियों का सीमेंटीकरण हो चुका है। बरसात के पानी की निकासी के लिए गांव के नालों की भी साफ-सफाई करवाई गई। ग्राम पंचायत कौडिया की पहचान प्राकृतिक किरणों के नाम से है।

सशक्त महिला सशक्त भारत, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता, स्वच्छता से समृद्धि, जल है तो जीवन है, जैसी सूक्तियों को सही अर्थों में देखना है तो नरसिंहपुर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में देखा जा सकता है। ग्राम की महिला सरपंच श्रीमती शोभा राजेन्द्र भदौरिया की मजबूत इच्छाशक्ति, सकारात्मक व विकासोन्मुखी सोच के कार्यों में ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग और उस पर क्षेत्रीय विधायक श्री संजय शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संदीप पटेल, सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता से ग्राम पंचायत कौडिया में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। ग्राम कौडिया ने हर उन विकास कार्यों को हाथ में लिया है, जो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं। यहां सभी मूलभूत सुविधाएँ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता कृषि उपज मंडी जैसी व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण की गई हैं।

सामान्य रूप से महिला के लिए आरक्षित सरपंच के पद पर श्रीमती शोभा राजेन्द्र भदौरिया को ग्रामवासियों ने वर्ष 2015 में निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया था। निर्वाचन से अभिभूत श्रीमती भदौरिया ने ग्रामवासियों के विश्वास व अपेक्षाओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि ग्राम में पूर्व में विकास नहीं था। ग्राम में पूर्व में भी विकास कार्य हुए थे, परन्तु वह विकास कार्य व्यवस्थित तरीके से नहीं होने की वजह से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा था। गांव के विकास के लिए जरूरी राशि का ग्राम पंचायत में अभाव था। गांव के अव्यवस्थित विकास तथा शुद्ध पेयजल व गंदगी की समस्या को जनसहयोग से व्यवस्थित किया गया। गांव के समग्र विकास की योजना पाँच वर्ष के लक्ष्य को रखकर बनाई गई है। विकास योजना का प्राथमिकता क्रम निर्धारण कर समय-सीमा में पूरा करने का प्रयास किया गया है।

प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को अपनी पहली प्राथमिकता बनाकर सर्वप्रथम ग्राम में पूर्व से निर्मित सभी नालियों को साफ करवाया गया और आवश्यकतानुसार रिपेयरिंग करवाई गई। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए प्रत्येक मोहल्ले में बोरिंग करवाकर सभी ग्रामवासियों को नल कनेक्शन दिए गए। प्रकाश की बचत के लिए सभी पोलों पर एलईडी बल्ब लगवाए गए। गांव की नालियों और सी.सी. रोड का निर्माण करवाया गया। गांव की सभी रोड-नालियों का सीमेंटीकरण हो चुका है। बरसात के पानी

की निकासी के लिए गांव के नालों की भी साफ-सफाई करवाई गई। ग्राम पंचायत कौडिया की पहचान प्राकृतिक किरणों के नाम से है।

ग्राम के विकास को करने का पूरा श्रेय क्षेत्रीय पूर्व विधायक संजय शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संदीप पटेल, क्षेत्रीय सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को जाता है। ग्राम में शत-प्रतिशत घरों में शौचालयों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण करवाया गया है। गांव को पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त होने का दर्जा प्राप्त है।

गांव के मुक्तिधाम को भी व्यवस्थित करवाया गया है। वृक्षारोपण की भी उचित देखभाल व सुव्यवस्थित किया जा रहा है। ग्रामवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुक्तिधाम के पास ही स्मृति चिन्ह का निर्माण करवाया गया है, जिससे ग्रामवासी अपने परिजनों की स्मृति में वृक्षारोपण कर रहे हैं। सकारात्मक सोच से कार्य करने से सभी का सहयोग भी स्वतः मिलने लगता है। ग्राम में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या का भी कुछ हद तक जनसहयोग मिलने से समाधान हो रहा है। स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा शक्कर मिल, राईस मिल व डेयरी जैसे छोटे उद्योग स्थापित करने से भी ग्रामवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। किसानों को भी अपनी उपज का वाजिब दाम प्राप्त होने लगा है।

ग्राम में उप कृषि उपज मंडी का भी निर्माण हो गया है। स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति में बनाए गए स्तम्भ को भी सजाया-सँवारा गया है। ग्राम की स्वच्छता के लिए ट्रेक्टर ट्राली की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण पूर्णता की ओर है। ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य की विकास योजनाओं की भी प्राथमिकता के अनुसार योजना बनाई गई है।

- जल संग्रहण व सघन वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी गई है।
- ग्राम के सभी झरनों का जीर्णोद्धार कर उनके पास पार्क व पाथवे का निर्माण करवाया गया है। अनुपयोगी झरने, रंगीन फव्वारा की स्थापना। गांव के झरनों के पानी की शुद्धता सुनिश्चित की गई है। झरनों में घुसकर नहाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नहाने के लिए झरने के प्लेटफार्म का सुधार करवाया गया है।

गांव के मुक्तिधाम को भी व्यवस्थित करवाया गया है। वृक्षारोपण की भी उचित देखभाल व सुव्यवस्थित किया जा रहा है। ग्रामवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुक्तिधाम के पास ही स्मृति चिन्ह का निर्माण करवाया गया है, जिससे ग्रामवासी अपने परिजनों की स्मृति में वृक्षारोपण कर रहे हैं। सकारात्मक सोच से कार्य करने से सभी का सहयोग भी स्वतः मिलने लगता है। ग्राम में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या का भी कुछ हद तक जनसहयोग मिलने से समाधान हो रहा है। स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा शक्कर मिल, राईस मिल व डेयरी जैसे छोटे उद्योग स्थापित करने से भी ग्रामवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। किसानों को भी अपनी उपज का वाजिब दाम प्राप्त होने लगा है।

पंचायत में किये गये प्रमुख कार्य

- गांव की पहचान व गांव की आय का प्रमुख स्रोत रहे प्रतिष्ठित मवेशी बाजार को पुनः चालू करने के लिए प्रयास करना। बाहर से आने वाले व्यापारियों व कृषकों के लिए सुविधायुक्त धर्मशाला का निर्माण।
- पूर्णकालिक चिकित्सालय की व्यवस्था व जन उपयोगी सुविधाजनक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।
- ग्रामवासियों के लिए शादी विवाह आदि के लिए सुविधाजनक सामुदायिक भवन का निर्माण।
- ग्राम पंचायत के आर्थिक स्रोत जल व स्वच्छता कर बाजार कर आदि नियमित प्राप्त करने के लिए ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जागरूकता अभियान।
- ग्राम पंचायत की सम्पत्तियों को चिन्हित कर उनका शत-प्रतिशत सदुपयोग।
- ग्राम में सुविधायुक्त पुस्तकालय व आधुनिक संचार सुविधाओं की स्थापना।
- ग्राम के बीच में से निकलने वाले हाईवे से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बायपास रोड निर्माण के लिए जिला प्रशासन से सहयोग प्राप्त करना।
- ग्राम के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता।
- सभी शासकीय कर्मचारियों पटवारी, ग्राम सेवक, पशु चिकित्सक आदि के लिए उचित बैठक व्यवस्था, कार्यालय आदि का निर्माण।

● **सुभाष बचकैया**
लेखक पत्रकार तथा स्तम्भकार हैं

ग्रामीण क्षेत्र में सत्रह लाख से अधिक
आवासहीन को उपलब्ध कराये गये आवास

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवासहीन परिवारों को स्वयं के आवास उपलब्ध करवाने की विभिन्न योजनाओं के तहत 17 लाख 17 हजार हितग्राहियों को आवास उपलब्ध करवाये जा चुके हैं। श्री भार्गव ने बताया कि वर्ष 2022 तक प्रदेश के शत-प्रतिशत आवासहीनों को आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8 लाख 36 हजार आवास के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 7 लाख 56 हजार हितग्राहियों की आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं।

अभी तक 4 लाख 94 हजार आवास के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो देश में सर्वाधिक है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इंदिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना के तहत 5 लाख 73 हजार आवास बनाये जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत ग्रामीण अंचल के आवासहीन एवं कच्चे तथा अर्धपक्के आवासों के स्थान पर पक्के आवास बनाने के लिये राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसमें 6 लाख 50 हजार ग्रामीण परिवारों को 6 हजार करोड़ रुपये बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाये गये, जिसमें 3 हजार करोड़ शासकीय अनुदान के रूप में दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

अंधोबाई के सपने के घर ने लिया आकार

जबलपुर जिले के जनपद मझौली से 11 किलोमीटर दूर स्थित है गाँव इन्द्राना। गाँव की एक रहवासी श्रीमती अंधोबाई मेहनत-मजदूरी कर बमुश्किल अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाती हैं। टूटे-फूटे कच्चे मकान में निवास करना इनकी मजबूरी रही। तभी इन्हें ग्राम सभा में ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया कि इनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल हो गया है। अब इन्हें पक्के आवास निर्माण के लिए राशि प्रदान की जायेगी। यह सुनकर खुशी से अंधोबाई की आँखें भर आईं। मन में कहीं कोई सपना था पक्के मकान का वह पूरा होने जा रहा था। अंधोबाई ने बताया कि "वर्षों से हम कच्चे टूटे-फूटे घर में रहते थे। बारिश में छत से पानी टपकता, मैं और मेरा परिवार रात जागकर काटते थे। जैसे-तैसे गुजर-बसर चल रही थी। इस परेशानी में कई बार मन में बात उठी कि अपना पक्का घर हो जाये तो बारिश में होने वाली परेशानी दूर हो जाएगी।" आखिर अंधोबाई के मन में पले सपने ने आकार लिया। अंधोबाई ने प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए बताया कि मुझे मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये, मजदूरी के लिए 18 हजार रुपये तथा शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये प्राप्त हुए। इन पैसों से मैंने अपने सपनों के घर को आकार दिया।

मजदूरी करके तो हम कभी भी पक्का मकान नहीं बना सकते थे। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें बारिश में होने वाली तकलीफ से दूर किया। अब हम बरसात के मौसम में भी आराम से सो सकते हैं। अब हमें बारिश में जागना नहीं पड़ेगा। मैं और मेरा परिवार अब खुशी-खुशी अपने पक्के मकान में खुशहाल है। अंधोबाई की तरह और भी कई परिवार हैं जिनके मन में पल रहे सपने को आकार दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में सबसे अधिक आवास निर्मित कर अग्रणी प्रदेश बन गया है।

कहाँ : जिला - जबलपुर, जनपद - मझौली, ग्राम - इन्द्राना।

समस्या : अंधोबाई के पास पक्का आवास नहीं था।

समाधान : प्रधानमंत्री आवास योजना से अंधोबाई को मिला पक्का मकान।

● **प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े**

प्रधानमंत्री आवास योजना

लीलाबाई को मिला पक्का आवास

अपना घर सबकी मूलभूत आवश्यकता है जिसे व्यक्ति जब तक संभव हो पूर्ण करने का प्रयास करता है। लेकिन वे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके लिए अपना पक्का मकान बनाना संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों की इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। इस योजना को लागू करने में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में गरीबजनों को उनका पक्का घर मिलने की कई कहानियाँ हैं।

इन्हीं में से एक है जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील के गोसलपुर गाँव में रहने वाली श्रीमती लीला बाई।

पहले लीला बाई का एक कमरे का कच्चा घर था, छत पर कच्ची छप्पर होने के कारण बारिश में पानी टपकता था, जिससे पूरा घर गीला हो जाता था। यदि बारिश लम्बी रही तो ऊपर से पानी टपकता था और नीचे गीला रहने से सीलन की समस्या रहती थी। लीलाबाई ने बताया कि बरसात में हम बड़े मुश्किल से दिन निकालते थे। हर समय डर बना रहता था कि कोई गीले में से कोई जीव-

जंतु न निकल आये। कई बार मन में आता था कि अपना भी अच्छा घर बन जाए। पर ऐसा सोचने में भी डर लगता था क्योंकि मकान बनाना हमारे लिए संभव ही नहीं था।

लीला बाई के असम्भव स्वप्न को संभव में बदला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने। योजना के तहत लीला बाई का सूची में नाम शामिल हो गया। लीला बाई को पंचायत से इसकी जानकारी प्राप्त हुई। आवेदन देने के बाद सर्वे के उपरांत लीला बाई को तीन किश्तों में आवास निर्माण के लिए राशि प्राप्त हुई। लीलाबाई मुस्कराकर कहती हैं, "अब हमारे दुःख के दिन दूर हो गये हैं। हमारे पास अपना पक्का मकान भी है और शौचालय भी। हमारी तरफ से सरकार को धन्यवाद। हमारा परिवार अब खुशहाली में जीवनयापन कर रहा है।"

कहाँ : जिला - जबलपुर, जनपद - सिहोरा, ग्राम - गोसलपुर।
समस्या : लीलाबाई के पास पक्का आवास नहीं था।
समाधान : प्रधानमंत्री आवास योजना से लीलाबाई को मिला पक्का मकान।

● प्रस्तुति : विजय देशमुख

स्व-सहायता समूहों को स्व-रोजगार गतिविधियों के लिये दिये गये 1910 करोड़

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि ग्रामीण निर्धन परिवार की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य से ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों में संगठित कर प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक स्व-सहायता समूह बनाए गए। मंत्री श्री भार्गव ने स्व-सहायता समूहों के गठन के लिए महिला हितग्राहियों की पहचान सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूचकांक (SECC) से करने के निर्देश दिए है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन ने बताया है कि प्रदेश के 43 जिलों के 271 विकासखण्डों में मिशन की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। एक जैसी आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक स्थिति वाली महिलाओं को समूह के रूप में संगठित कर रोजगार-मूलक गतिविधियों से जोड़ा गया है। समूहों को तीन माह पश्चात ग्रेडिंग के आधार पर 10 से 15 हजार रुपये का रिवाल्विंग फण्ड दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 2 लाख 3 हजार 244 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 23 लाख 28 हजार ग्रामीण महिला सदस्यों को संगठित किया गया है। एक लाख 51 हजार 438 स्व-सहायता समूहों को स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए 1910 करोड़ रुपये का ऋण बैंकों के माध्यम से मुहैया करवाया गया है।

स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही रोजगारमूलक गतिविधियां

प्रदेश में 472 समूहों द्वारा उत्पादित सब्जियों के विक्रय के लिए आजीविका फ्रेश संचालित किए जा रहे हैं और 11 हजार 931 समूहों द्वारा वस्त्र निर्माण गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसी प्रकार 159 समूहों द्वारा सेनेटरी नेपकिन निर्माण इकाई स्थापित की गई हैं, 525 समूहों द्वारा अगरबत्ती उत्पादन कार्य तथा 89269 परिवारों द्वारा दुग्ध उत्पादन कार्य किया जा रहा है। डेढ़ लाख परिवार गैर कृषि आजीविका गतिविधियों में संलग्न हैं, 25 जिलों में 2877 समूहों द्वारा साबुन निर्माण, 698 समूहों द्वारा गुड़, मूंगफली, चिक्की निर्माण, 1236 समूहों द्वारा 'हाथकरघा उद्योग संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में 37 समूह बड़ी औद्योगिक इकाइयों के सहयोगी उत्पादन पैदा कर रहे हैं। समूहों की आय का एकमुश्त अनुमान लगाया जाए तो एक लाख 43 हजार सदस्य औसतन, एक लाख रुपये से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस में दिये गए निर्देश

दिनांक 1.3.2018

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण :

- वर्ष 2017-18 की शेष स्वीकृतियाँ आगामी वीडियो कान्फ्रेंस के पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें। पंजीयन एवं जियोटैगिंग का कार्य जनपद स्तर से पूर्ण होने के उपरांत स्वीकृति जारी करने का दायित्व जिला पंचायत का है।
- वर्ष 2018-19 के पंजीयन का कार्य राजगढ़, विदिशा, नरसिंहपुर, खरगोन, शहडोल जिलों को छोड़कर संतोषप्रद नहीं है। उदाहरण स्वरूप अनूपपुर, डिण्डौरी, श्योपुर, शाजापुर, शिवपुरी, अशोकनगर जिलों में कोई भी प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया है। समस्त जिले एक सप्ताह में रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण करते हुए स्वीकृतियां जारी करें।
- समस्त जिलों से एक कक्ष कच्चा की जानकारी पत्र क्र. 6127/22/ पीएमएवाय-जी दिनांक 15.5.2017 से चाही गई थी। यह जानकारी जिलों द्वारा उपलब्ध कराने के बाद ही राज्य स्तर से लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। अतः किसी भी जिले को यदि लक्ष्य समर्पित करना है तो उसे पूर्व में यह जानकारी देनी होगी कि समर्पण का क्या कारण है। जिले के भीतर लक्ष्य भी ग्राम पंचायतों के बीच redistribution की अनुमति चाहे जाने पर दी जा सकेगी।
- नवीन पंजीयन करते समय बैंक खातों के परीक्षण उपरांत ही पंजीयन का कार्य किया जाये। जनधन खाते, छोटे खाते (जिनकी लिमिट सीमित रहती है) का पंजीयन न किया जाये।

स्वच्छ भारत मिशन :

- अपर मुख्य सचिव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा एवं खण्डवा को उनके जिले को समय-सीमा में ओडीएफ घोषित करने के लिए बधाई दी गई।
- राजगढ़, बड़वानी, धार, रतलाम एवं मंदसौर जिले द्वारा शौचालय निर्माण के मासिक लक्ष्य का 84 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हेतु इन जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की सराहना की गई।
- जिन जिलों ने शौचालय निर्माण के मासिक लक्ष्य से कम उपलब्धि प्राप्त की है, उनको माह मार्च में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

मिशन अंत्योदय

- 'मिशन अंत्योदय' का उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों में SECC-2011 के अनुसार वंचित परिवारों के जीवन में बदलाव (Transforming Lives) और संवहनीय आजीविका (Sustainable Livelihood) सुनिश्चित करना है। तत्संबंध में मिशन का 'कार्यान्वयन फेमवर्क : नवम्बर-2017' (Framework for Implementation) भारत सरकार के पोर्टल http://missionantyodaya.nic.in पर 'RESOURCES' के लिंक में उपलब्ध है। इस दस्तावेज की प्रति सहभागी विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को उपलब्ध करायें, ताकि 'मिशन अंत्योदय' के विभिन्न आयामों, सहभागी विभागों की गतिविधियों तथा आउटकम को समझा जाकर आगामी कार्यवाही की जा सके।
- 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों के क्लस्टर गठन हेतु विभाग के पत्र क्र. 1768 दिनांक 13.2.2018 में निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों के अनुरूप क्लस्टर का गठन कर जानकारी 12 मार्च 2018 तक उपलब्ध करायें।
- ऐसी पंचायतें जहां बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं हुआ है वहां सर्वेक्षण कराकर मोबाइल एप पर इन पंचायतों का डाटा 20 मार्च 2018 तक अपलोड किया जाये। बालाघाट, बड़वानी, छतरपुर, दतिया, धार, डिंडौरी, मंदसौर, पन्ना, रीवा, सतना, शिवपुरी तथा सिंगरौली जिलों में ऐसी पंचायतों की संख्या ज्यादा है।
- 'मिशन अंत्योदय' के संबंध में मुख्यालय स्तर से पत्राचार, ई-मेल mp.antyodaya@gmail.com के द्वारा किया जा रहा है। कृपया उपरोक्तानुसार अपेक्षित जानकारी इस ई-मेल पर ही प्रेषित करें।

महात्मा गांधी नरेगा :

- वर्ष 2018-19 में जिलों द्वारा किये जाने वाले वृक्षारोपण पर चर्चा की गई एवं जिन जिलों द्वारा पात्र वर्ग के किसानों के खेतों की मेड़ व खेत में वृक्षारोपण का आकलन नहीं किया गया है उन्हें सही आकलन कर गूगल शीट 12-A में जानकारी की प्रविष्टि करने हेतु निर्देशित किया गया। (कार्यवाही-CEOZP, समस्त जिले)
- प्रजातिवार पौधों की मांग की जिलों द्वारा गूगलशीट में प्रविष्टि को फ्रीज किया जाए इसी आधार पर विभाग को प्राप्त लक्ष्य में वानिकी एवं उद्यानिकी पौधों की संख्या प्राक्कलन की जाए। (कार्यवाही-आयुक्त म.प्र.रा.रो.गा. परिषद्)
- पौध रक्षकों के मास्टर ट्रेनर्स के जिन जिलों द्वारा गूगल शीट-14 में नाम नहीं भरे गये हैं या गलत प्रशिक्षणार्थियों के नाम दिये गये हैं वह 03 मार्च 2018 को दोपहर 2.30 बजे तक गूगल शीट में सही प्रविष्टि करें। (कार्यवाही जिले-बुरहानपुर, छतरपुर, पन्ना, श्योपुर)
- वर्ष 2017-18 में वृक्षारोपण कार्यों के सत्यापन हेतु जिले, क्लस्टर स्तर के अधिकारियों को नामांकित कर कैलेण्डर तैयार कर लेवें, जिससे समय पर सत्यापन की कार्यवाही होकर Gap filling हेतु भुगतान हो सके।
- जिलों द्वारा Gap filling हेतु पौधों की मांग की प्रविष्टि की गई है, उसमें अधिकतर शासकीय विभाग की नर्सरी यथा- उद्यानिकी, वन विभाग आदि की नर्सरियों की प्रविष्टि की गई है। वन पौधों का इस वर्ष के पौधरोपण में उपयोग होना संभावित है। अतः Gap filling के लिए आवश्यक पौधों की उपलब्धता की गणना इस बिन्दु पर ध्यान देकर ही की जावे।

पंचायतों में होगा सामुदायिक भवनों का निर्माण

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./एफ-2-36/2018 **भोपाल, दिनांक 09.02.2018**

//आदेश//

एतद् द्वारा पंचायतों में 618 सामुदायिक भवनों का निर्माण अधोसंरचना विकास हेतु 7668 स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य वित्त आयोग मद) से करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2. शर्तें:-

2.1 निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत के लिये निर्धारित निर्माण कार्य की रुपये 15.00 लाख की वित्तीय सीमा में शिथिलता प्रदान की जाती है।

2.2 निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के पत्र क्र. 3773, दि. 14.08.2017 द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों एवं अवयवों के अनुसार करना होगा। प्रमुख अभियंता के इस पत्र में तकनीकी मापदंड नियत कर दिए जाने से पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

2.3 प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने बाउण्ड्रीवॉल की मानक लागत रुपये 3,550/- प्रति रनिंग मीटर निर्धारित की है जिसमें गेट की लागत शामिल है। बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्धारित तकनीकी अवयवों एवं मापदण्डों के अनुसार करना होगा।

2.4 संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

2.5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आवश्यक समझे तो शासन के किसी भी विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री अथवा वरिष्ठ स्तर के अभियंता से आवश्कता अनुसार तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मदद की व्यवस्था कर सकते हैं। इस हेतु प्रति भवन, प्रति निरीक्षण पारिश्रमिक तय कर प्रति भवन की स्वीकृत लागत का अधिकतम एक प्रतिशत जिला पंचायत की निधि से व्यय किया जा सकेगा।

2.6 निर्माण का चरणबद्ध मानक मूल्यांकन प्रमुख अभियंता के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.08.2017 अनुसार मान्य होगा।

2.7 भवन निर्माण दि. 31.12.2018 तक पूर्ण कराना होगा।

3. यदि सामुदायिक भवन किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रदाय की जाने वाली राशि पंचायत राज संचालनालय को वापिस की जाए एवं इसकी सूचना संचालनालय को तत्काल दी जावे।

4. पंचायत राज संचालनालय द्वारा निर्माण कार्य की 50 प्रतिशत राशि संबंधित निर्माण एजेंसी को प्रथम किश्त के रूप में प्रदाय की जा रही है। द्वितीय किश्त हेतु शेष 50 प्रतिशत राशि सामुदायिक भवन का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर संबंधित जिला पंचायत से मांग करने पर जिला पंचायत एकजाई प्रस्ताव तैयार कर द्वितीय किश्त की राशि जारी करने हेतु संचालनालय पंचायत राज को प्रस्तुत करेंगे।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(शमीम उद्दीन)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियम में हुआ संशोधन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-4-7-2017-छब्बीस-2 **भोपाल, दिनांक 1 जनवरी, 2018**

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (क्रमांक 56 सन् 2007) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

(1) नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(घ क) शासकीय कर्मचारी से अभिप्रेत है -

(एक) मध्यप्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत् कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी जो नियमित वेतनमान या संविदा पर नियुक्त किया गया है; या

(दो) केन्द्रीय सरकार के अधीन कोई अधिकारी या कर्मचारी जो राज्य सरकार से वेतन प्राप्त कर रहा है; या

(तीन) राज्य सरकार के अर्द्ध-शासकीय उपक्रम एवं निगम या बोर्ड के अधीन कार्यरत् कोई अधिकारी या कर्मचारी; या

(चार) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत का कोई अधिकारी या कर्मचारी; या

(पांच) समस्त संस्थाओं के कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही है;"

(2) नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"14 अधिकतम भरण-पोषण भत्ता -

अधिकतम भरण-पोषण भत्ता जो अधिकरण विरोधी पक्षकार को भुगतान करने का आदेश दे सकेगा, प्रतिमाह अधिकतम रुपये दस हजार के अध्यधीन होगा। ऐसी रीति में नियत किया जाएगा कि विरोधी पक्षकार की सभी स्त्रोतों से मासिक आय से अधिक न हो, उससे उनके परिवार के सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाएगा, आवेदक या आवेदकों की भी विरोधी पक्षकार के परिवार के सदस्य के रूप में गणना की जायेगी। यदि आवेदक के पुत्र या पुत्री या रिश्तेदार शासकीय सेवा में हों या उपक्रम/स्थानीय निकाय/संस्थाओं की सेवा में हों, तो अधिकरण नियोक्ता को आदेश द्वारा, उपरोक्त व्यक्तियों के मासिक वेतन से 10 प्रतिशत तक की राशि (अधिकतम 10 हजार रुपये तक) को काटने का तथा काटी गई राशि प्रतिमाह आवेदक के बैंक खाते में सीधे जमा करने का, निदेश दे सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(अलका श्रीवास्तव)
अपर सचिव

गांवों में शौचालय निर्माण के लिये स्व-सहायता समूह होंगे निर्माण एजेंसी

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 467/22/वि-7/पं.ग्रा.वि/एस.बी.एम. (जी.)/2018 **भोपाल, दिनांक 08.02.2018**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला-समस्त।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-समस्त मध्यप्रदेश।

विषय :- शौचालय निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत/स्व-सहायता समूह से कराने के संबंध में।

संदर्भ :- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 1282 दिनांक 01.06.2016

संदर्भित पत्र द्वारा पात्र हितग्राहियों को स्वयं शौचालय निर्माण पश्चात उनके खाता में प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन अंतरित करने का प्रावधान किया गया है। इस निर्देश के क्रियान्वयन से हितग्राहियों का स्वयं शौचालय निर्माण में योगदान बढ़ा तथा लाखों हितग्राहियों ने अपना शौचालय स्वयं निर्मित कर इसकी प्रोत्साहन राशि को प्राप्त किया।

अनेक जिलों द्वारा यह अवगत कराया गया कि विभिन्न परिस्थितियों, जैसे- विकलांगता, वृद्धावस्था, भौगोलिक दुर्गमता आदि के कारण अनेक हितग्राही स्वयं की निधि से शौचालय निर्मित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे शौचालय निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।

अतः विभाग के पत्र क्र. 1282 दिनांक 01.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुये ऐसे हितग्राहियों का शौचालय निर्मित करने हेतु ग्राम पंचायत/NRLM के पंजीकृत स्व-सहायता समूह को निर्माण एजेन्सी बनाया जाने की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1. अत्यधिक आवश्यक होने पर केवल अक्षम तथा दूरस्थ/दुर्गम ग्रामों के पात्र हितग्राही का उनकी सहमति पश्चात दो लीच पिट शौचालय निर्माण एजेन्सी (ग्राम पंचायत/NRLM के पंजीकृत स्व-सहायता समूह) के माध्यम से निर्मित कराया जायेगा।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उनके क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्डों के ग्रामों में ऐसे हितग्राहियों तथा निर्माण एजेन्सी का चिन्हांकन एक बार में (One Time) करायेंगे तथा जनपदवार संकलित प्रस्ताव कलेक्टर एवं मिशन लीडर की अनुमति से राज्य मुख्यालय प्रेषित करेंगे।
3. राज्य मुख्यालय, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा जिले से प्राप्त प्रस्ताव के अधार पर स्वच्छ एम.पी. पोर्टल पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लॉगिन में चिन्हित हितग्राहियों के लिये निर्माण एजेन्सी को FTO किये जाने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. एजेन्सी से निर्मित होने वाले समस्त शौचालयों के लिये ऑनलाइन सत्यापनकर्ता अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत के उपयंत्री होंगे जो निर्मित शौचालय की गुणवत्ता हेतु व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। शौचालय की गुणवत्ता हेतु विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाये।
5. निर्माण एजेन्सी से समय सीमा में कार्य कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की होगी।
6. कलेक्टर एवं मिशन लीडर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतत अनुश्रवण द्वारा प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

शौचालय निर्माण के लिये स्व-सहायता समूहों की वेबपोर्टल में जानकारी होगी अपडेट

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यप्रदेश
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
बी-विंग, अपर बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल
ई-मेल : swsmmp@gmail.com, Tel. : 0755-2550821

क्र. 510/22/पं.ग्रा.वि./SBM (G)/2018 **भोपाल, दिनांक 12.02.2018**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन
भोपाल

विषय :- म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- 467/22/वि-7/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम. (जी)/2018 भोपाल दिनांक 08.02.2018

कृपया संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें आवश्यकता एवं क्षमतानुसार NRLM के समूहों को शौचालय निर्माण एजेन्सी बनाने का आदेश जारी किया गया है।

2. शौचालय निर्माण हेतु चयनित स्व-सहायता समूहों को शौचालय निर्माण की राशि के नियमित भुगतान हेतु तैयार किये जा रहे ऑनलाइन वेबपोर्टल में स्व-सहायता समूहों एवं उनके खातों का विवरण एक मुश्त डाटाबेस में दर्ज किये जाना है ताकि उक्त स्व-सहायता समूहों के खातों की प्रविष्टि Manually करने की आवश्यकता ना हो।

अतः अनुरोध है कि उक्त स्व-सहायता समूहों का विवरण निम्न प्रारूप में कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रारूप-

क्र.	स्व-सहायता समूह का नाम	पंजीकरण संख्या	कार्यरत ग्राम पंचायत का नाम	जनपद	जिला	खाता संख्या	IFSC संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

6/2/18

(डॉ. अतुल श्रीवास्तव)
राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)
भोपाल, मध्यप्रदेश

पृ. क्र. 511/22/पं.ग्रा.वि./SBM (G)/2018 **भोपाल, दिनांक 12.02.2018**

प्रतिलिपि :-

1. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक, तकनीकी एन.आई.सी., एमपी, विंध्याचल भवन की ओर सूचनार्थ।

6/2/18

राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)
भोपाल, मध्यप्रदेश

स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिये पुरस्कार योजना

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
बी-विंग, द्वितीय तल विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्र. 281/22/वि-7/पं.ग्रा.वि.वि./स्व.भा.मि. (ग्रा.)/2018 **भोपाल, दिनांक 29.01.2018**

प्रति,

कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
जिला-समस्त, मध्यप्रदेश

विषय :- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में उत्कृष्ट कार्यों के लिये पुरस्कार योजना।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में उत्कृष्ट कार्यों के लिये निम्नानुसार पुरस्कार योजना तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

1. जिला स्तर

पुरस्कार	उपलब्धि विवरण	पुरस्कार राशि (रु.)
प्रथम पुरस्कार	02 अक्टूबर 2017 तक ODF घोषित जिले	10 लाख
द्वितीय पुरस्कार	31 मार्च 2018 तक ODF घोषित जिले	09 लाख
तृतीय पुरस्कार	15 अगस्त 2018 तक ODF घोषित जिले	08 लाख
2. जनपद स्तर :-		
प्रथम पुरस्कार	02 अक्टूबर 2017 तक ODF घोषित जनपद	02 लाख
द्वितीय पुरस्कार	31 मार्च 2018 तक ODF घोषित जनपद	1.5 लाख
तृतीय पुरस्कार	15 अगस्त 2018 तक ODF घोषित जनपद	01 लाख
3. ग्राम पंचायत स्तर :-		
प्रथम पुरस्कार	02 अक्टूबर 2017 तक ODF घोषित ग्राम पंचायत	25 हजार
द्वितीय पुरस्कार	31 मार्च 2018 तक ODF घोषित ग्राम पंचायत	20 हजार
तृतीय पुरस्कार	15 अगस्त 2018 तक ODF घोषित ग्राम पंचायत	15 हजार

4. शर्त :-

I. जिला स्तर की प्राप्त पुरस्कार राशि में से 20% ऐसे व्यक्तियों में बांटी जा सकती है जिन्होंने ODF घोषित करने में अहम भूमिका निभायी हो। ऐसे व्यक्तियों का चयन कलेक्टर, अध्यक्ष जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की चयन समिति करेगी। समिति के सदस्य सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होंगे।

II. जनपद स्तर की प्राप्त पुरस्कार राशि में से 20% ऐसे व्यक्तियों में बांटी जा सकती है, जिन्होंने ODF घोषित करने में अहम भूमिका निभायी हो। ऐसे व्यक्तियों का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की चयन समिति करेगी। समिति के सदस्य सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होंगे।

III. ग्राम पंचायत स्तर के पुरस्कार राशि में से 50% ऐसे व्यक्तियों में बांटी जा सकती हे जिन्होंने ODF घोषित करने में अहम भूमिका निभायी हो। ऐसे व्यक्तियों का चयन ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा किया जायेगा।

IV. उपरोक्त तीनों स्तर के पुरस्कार में से व्यक्तियों को दी गई राशि को छोड़कर शेष पुरस्कार राशि को किसी ऐसे कार्य पर व्यय किया जा सकेगा जो स्वच्छता की किसी अधोसंरचना अथवा सेवा से संबंधित हो। उदाहरणतः अधोसंरचना के अंतर्गत आप अपने कार्यालय में या किसी भी अन्य

स्थान पर शौचालय निर्माण/उन्नयन (Upgradation) कर सकते हैं तथा सेवा के अंतर्गत आप किसी सार्वजनिक स्थान/संस्था की सफाई, 'स्वच्छता किट' आदि का प्रदाय कर सकते हैं। 'स्वच्छता किट' की सामग्री का निर्धारण आप स्वतः कर सकते हैं। यह व्यय जिला/जनपद स्तर पर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेंगे और पंचायत स्तर पर पंचायत में प्रस्ताव के द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत कर सकेगी।

5. **वित्तीय प्रावधान :-** पुरस्कार हेतु व्यय स्वच्छ भारत मिशन के IEC मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश पंचायिका

1.	प्रकाशन स्थान	:	भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	:	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	:	मंगला प्रसाद मिश्रा एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मध्यप्रदेश माध्यम
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	xxx
	पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
4.	प्रकाशक का नाम	:	शमीम उद्दीन, आयुक्त पंचायत राज संचालनालय, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	xxx
	पता	:	पंचायत राज संचालनालय, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
5.	संपादक का नाम	:	रंजना चितले
	क्या भारत का नागरिक है?	:	हाँ
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	xxx
	पता	:	मध्यप्रदेश माध्यम, 40, प्रशासनिक क्षेत्र अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों, तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के पास, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) भोपाल (म.प्र.)

मैं शमीम उद्दीन एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

शमीम उद्दीन
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक 1.3.2018

गांवों में आईईसी कार्य हेतु प्रेरकों को दी जायेगी प्रोत्साहन राशि

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 246/22/वि-7/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम.(जी.)/2018 **भोपाल, दिनांक 23.01.2018**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला-समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-समस्त
मध्यप्रदेश

विषय :- IEC कार्य हेतु प्रशिक्षित प्रेरकों की संलग्नता एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भः- मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 11224 दिनांक 22.09.2014

संदर्भित पत्र द्वारा प्रेरकों की संलग्नता एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए सूचना शिक्षा संचार अंतर्गत सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन की गतिविधियों द्वारा ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करने, इसे निरंतर बनाये रखने तथा ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन (SLRM) कार्य में सहयोग हेतु प्रशिक्षित प्रेरक के लिये प्रति पंचायत (200 आवासों की सीमा तक) गतिविधियाँ करने एवं परिणाम देने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया जाता है -

क्र.	गतिविधि	गतिविधि पूर्णता सूचकांक	प्रोत्साहन राशि रु.
1	**ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कराना**		
	1.1) ग्राम समुदाय के सभी वर्गों का समुदाय अभिप्रेरण कर उन्हें अभियान से जोड़ना एवं अभियान की जानकारी देना।	● बच्चों, महिलाओं, युवाओं-युवतियों आदि के निगरानी दल का गठन एवं उनके द्वारा सतत निगरानी कराना।	रु. 1000 प्रति प्रेरक। यह कार्य 2 प्रेरक मिलकर करेंगे।
	1.2) घर-घर संपर्क कर शौचालय निर्माण एवं उपयोग के लिये IPC की गतिविधियाँ करना।	● शेष सभी शौचालय विहिन आवासों में शौचालय निर्मित एवं MIS में प्रविष्टि। ● सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग।	शौचालय निर्माण होने पर प्रति परिवार रु. 100 एवं प्रति अपात्र परिवार रु. 150। यह मानदेय 25-50 शौचालय पूर्ण कराने पर दिया जा सकेगा।
	1.3) निर्धारित प्रोटोकाल अनुसार ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कराना।	● सभी आवास शौचालय युक्त। ● सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग। ● ग्राम सभा का ODF घोषणा प्रस्ताव।	रु. 3,000
2	**खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत की निरंतरता एवं ठोस तरल संसाधन प्रबंधन**		
	2.1) ODF पश्चात् **प्रथम माह में** ODF निरंतरता एवं ठोस तरल संसाधन प्रबंधन (SLRM) की गतिविधियाँ।	● सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग।	रु. 1,000
		● SLRM की कार्ययोजना निर्मित।	रु. 1,000
	2.2) ODF पश्चात् **तीन माह तक** ODF निरंतरता एवं SLRM की गतिविधियाँ।	● सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग। ● प्रोटोकाल अनुसार ODF सत्यापित।	रु. 2,000
		● SLRM का कार्य प्रारंभ।	रु. 500
	2.2) ODF पश्चात् **छठे माह तक** ODF निरंतरता की गतिविधियाँ।	● सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग। ● प्रोटोकाल अनुसार ODF सत्यापित।	रु. 3,000

नोट :- किसी भी ग्राम पंचायत में 200 से अधिक घर होने पर प्रत्येक बढ़े हुए 50 घर पर उपरोक्त मानदेय में 25% की वृद्धि की जायेगी। जैसे- 201 से 250 आवासों वाली ग्राम पंचायत के लिये क्रमांक 1.1 की गतिविधि का मानदेय 1,250 रु. होगा। इसी प्रकार 251 से 300 आवासों वाली ग्राम पंचायत के लिये इसी गतिविधि का मानदेय 1,500 रु. होगा। किन्तु, यह वृद्धि गतिविधि क्रमांक 1.2 के लिये लागू नहीं होगी।

सामान्य निर्देश -

1. **प्रेरकों का चयन -** जिला स्वच्छ भारत मिशन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रेरकों का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करेंगे।
2. **प्रेरकों का प्रशिक्षण -** चयनित प्रेरकों को समुदाय अभिप्रेरण की विधियों एवं मिशन के घटकों का प्रशिक्षण दिया जाकर ही कार्य में संलग्न किया जायेगा।
3. **प्रेरकों को पंचायत का आवंटन एवं कार्यादेश -** न्यूनतम 2 ग्राम पंचायतों में 1 प्रशिक्षित प्रेरक कार्यरत होंगे तथा तत्संबंधी कार्यादेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा। कार्यादेश में प्रेरक को आवंटित ग्राम पंचायत, गतिविधियों का विवरण एवं उसकी समय-सीमा तथा मानदेय का स्पष्ट उल्लेख होगा।
4. **प्रेरकों के लिये कार्य योजना -** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत प्रेरकों के लिये ग्राम पंचायत वार गतिविधियों एवं मानदेय की कार्य-योजना तैयार करेंगे तथा इसकी प्रति जिला कार्यालय, संबंधित ग्राम पंचायत एवं प्रेरक को देंगे एवं इसका पालन सुनिश्चित करायेंगे।
5. **मानदेय राशि का भुगतान -** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत प्रेरकों द्वारा किये गये कार्य की मानदेय राशि का भुगतान संबंधित प्रेरक के बैंक खाता में करेंगे।
6. **संकुल-सहजकर्ता -** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत 10 ग्राम पंचायतों के संकुल में एक संकुल-सहजकर्ता को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की पूर्वानुमति से संलग्न कर सकेंगे। संकुल-सहजकर्ता का कार्य उनको आवंटित ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की गतिविधियों का संचालन, प्रेरकों द्वारा किये गये कार्य का अनुश्रवण एवं सत्यापन तथा उनके मानदेय भुगतान में समन्वय करना होगा। उनको एक माह में अधिकतम 20 दिवस के लिये संलग्न किया जायेगा तथा उन्हें राशि रु. 300 दैनिक मानदेय दिया जा सकेगा। इनके मानदेय राशि का भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करेंगे।
7. प्रेरक एवं संकुल- सहजकर्ता के मानदेय का भुगतान आई.ई.सी. मद के आई.पी.सी. उपमद से विकलनीय होगा।
8. भारत शासन की MIS में इन गतिविधियों पर व्यय की प्रविष्टि की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की होगी।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 247/22/वि-7/पं.ग्रा.वि./एस.बी.एम. (जी.)/2018 **भोपाल, दिनांक 23.01.2018**

प्रतिलिपि :-

1. संभाग आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ।
2. मु.का. अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला-समस्त की ओर पालनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिये लोगों को प्रेरित करेंगे सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (CRPs)

विकास आयुक्त कार्यालय
ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश

क्रमांक 148/22/वि-7/पं.ग्रा.वि./एसबीएम (जी)/2018, **भोपाल, दिनांक 10.01.2018**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - अनूपपुर, बड़वानी, छतरपुर, दमोह, धार, डिंडोरी, गुना, झाबुआ, मंडला, पन्ना, राजगढ़, सागर, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली एवं टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।

विषय :- म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह से IEC गतिविधियां कराये जाने के संबंध में।

म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन जिन जिलों में कार्यरत है, उनमें से 17 जिलों के 70 जनपद पंचायतों में 70 प्रतिशत से कम आवासीय शौचालय की उपलब्धता है तथा इन जनपदों में शौचालय निर्माण की औसत मासिक प्रगति भी अपेक्षाकृत कम है। अतः इन जनपद पंचायतों के 100 से ज्यादा शौचालय विहीन आवास वाली ग्राम पंचायतों में IEC अंतर्गत समुदाय अभिप्रेरण की गतिविधियां करके शौचालय निर्माण की गति बढ़ाने एवं ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु आजीविका मिशन के इच्छुक सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों (CRPs) का उपयोग किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों से निम्नलिखित प्रक्रिया एवं निर्देशानुसार कार्य कराया जाए-

1. **CRP का प्रेरक हेतु चयन -** दो ग्राम पंचायतों पर एक CRP प्रेरक का कार्य करेगा। जनपदवार आवश्यक प्रेरकों की संख्या का पत्रक संलग्न है। म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक, चिन्हित ग्राम पंचायतों में कार्य हेतु निर्धारित संख्या अनुसार इच्छुक सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों का चयन कर जनपदवार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को उपलब्ध कराएंगे।
2. **CRP का प्रशिक्षण -** सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों का समुदाय अभिप्रेरण एवं मिशन के घटकों का प्रशिक्षण कराया जाएगा (जिलावार प्रशिक्षण का विवरण संलग्न है)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत निर्धारित दिनांकों में CRPs का प्रशिक्षण आयोजित कराएंगे। प्रशिक्षण हेतु आजीविका मिशन के प्रशिक्षण केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षक राज्य कार्यालय, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
3. **कार्यादेश-** जिला परियोजना प्रबंधक (म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन), प्रशिक्षित सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों को IEC की गतिविधियां करने हेतु उनके ग्राम पंचायतों का निर्धारण कर संलग्न प्रारूप में कार्यादेश जारी करेंगे तथा इसकी प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला एवं जनपद पंचायत को प्रेषित करेंगे।
4. **मानदेय-** सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों को प्रति ग्राम पंचायत (200 आवासों की सीमा तक), गतिविधि/परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार दिया जायेगा-

क्र.	गतिविधि	गतिविधि पूर्णता सूचकांक	प्रोत्साहन राशि रु.
1.	**ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कराना**		
	1.1. ग्राम समुदाय के सभी वर्गों का समुदाय अभिप्रेरण करके उन्हें अभियान से जोड़ना एवं अभियान की जानकारी देना। समय-सीमा फरवरी-मार्च 2018	● बच्चों, महिलाओं, युवाओं युवतियों, आदि के निगरानी दल का गठन एवं उनके द्वारा सतत निगरानी।	यह कार्य 2 प्रेरक मिलकर करेंगे। प्रति प्रेरक रु. 1000 देय होगा।
	1.2. घर-घर संपर्क कर शौचालय निर्माण एवं उपयोग के लिए IPC की गतिविधियां	● शेष सभी शौचालय विहीन आवासों में शौचालय निर्मित एवं MIS में प्रविष्टि।	शौचालय निर्माण होने पर प्रति पात्र परिवार रु. 100 एवं प्रति अपात्र

क्र.	गतिविधि	गतिविधि पूर्णता सूचकांक	प्रोत्साहन राशि रु.
	करना। समय-सीमा जून 2018	● सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग।	परिवार रु. 150। यह मानदेय 25 शौचालय पूर्ण होने पर दिया जा सकेगा।
	1.3. निर्धारित प्रोटोकाल अनुसार ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कराना। समय-सीमा जून-जुलाई 2018	● सभी आवास शौचालय युक्त। सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग। ● ग्राम सभा का ODF घोषणा प्रस्ताव।	रु. 3,000
2.	**खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत की निरंतरता एवं ठोस तरल संसाधन प्रबंधन**		
	2.1) ODF पश्चात् प्रथम माह में ODF निरंतरता एवं ठोस तरल संसाधन प्रबंधन (SLRM) की गतिविधियां। समय-सीमा अगस्त 2018	● सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग।	रु. 1,000
		SLRM की कार्ययोजना निर्मित।	रु. 1,000
	2.2) ODF पश्चात् तीन माह तक ODF निरंतरता एवं SLRM की गतिविधियां। समय-सीमा अक्टूबर 2018	● सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग।	रु. 2,000
		● प्रोटोकॉल अनुसार ODF सत्यापित।	
		● SLRM का कार्य प्रारंभ।	रु. 500
	2.3) ODF पश्चात् छठे माह तक ODF निरंतरता की गतिविधियां। समय-सीमा जनवरी 2019	● सभी के द्वारा शौचालय का उपयोग।	रु. 3,000
		● प्रोटोकॉल अनुसार ODF सत्यापित।	

नोट- किसी भी ग्राम पंचायत में 200 से अधिक घर होने पर प्रत्येक बढ़े हुए 50 घर पर उपरोक्त मानदेय में 25% की वृद्धि की जायेगी। जैसे- 201 से 250 आवासों वाली ग्राम पंचायत के लिये क्रमांक 1.1 की गतिविधि का मानदेय 1,250 रु. होगा। इसी प्रकार 251 से 300 आवासों वाली ग्राम पंचायत के लिये इसी गतिविधि का मानदेय 1,500 रु. होगा। यह वृद्धि गतिविधि क्रमांक 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 एवं 2.3 के लिए लागू होगी परन्तु 1.2 के लिए लागू नहीं होगी।

5. **मानदेय राशि का भुगतान -** जिला परियोजना प्रबंधक, आजीविका मिशन प्रेरकों द्वारा किए गए कार्य की मानदेय राशि के भुगतान हेतु मासिक विवरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को देंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा संबंधितों के बैंक खाता में भुगतान कर इसकी सूचना जिला परियोजना प्रबंधक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को देंगे।

6. **संकुल-सहजकर्ता-** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत 10 ग्राम पंचायतों के संकुल में स्वच्छता की गतिविधियों के संचालन, प्रेरकों द्वारा किए गए कार्य का अनुश्रवण एवं सत्यापन एवं उनके मानदेय भुगतान में समन्वयन हेतु एक संकुल-सहजकर्ता को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की पूर्वानुमति से संलग्न कर सकेंगे।

संकुल-सहजकर्ता हेतु नाम एवं बैंक खाता विवरण ब्लाक परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन से प्राप्त किया जाएगा।

संकुल-सहजकर्ता को एक माह में अधिकतम 20 दिवस के लिए राशि रु. 300 प्रति कार्य दिवस का मानदेय दिया जा सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत इस टास्क हेतु राशि का भुगतान करेंगे।

प्रेरक एवं संकुल-सहजकर्ता के मानदेय का भुगतान आई.ई.सी. मद के आई.पी.सी. उपमद से विकलनीय होगा।

7. उपरोक्त गतिविधियों पर व्यय की MIS में प्रविष्टि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा कराई जाएगी।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाहियाँ समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कम प्रगति वाली पंचायतों में अभिप्रेरण की सघन गतिविधियों द्वारा प्रगति में वृद्धि हो सके तथा आपका जिला अक्टूबर 2018 से पहले खुले में शौच से मुक्त हो सके।

संलग्न- 1. आवश्यक प्रेरकों की संख्या एवं प्रशिक्षण का पत्रक।
2. कार्यादेश प्रारूप।

(इकबाल सिंह बैंस)
विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश

जनपदवार आवश्यक CRPs की संख्या एवं उनके प्रशिक्षण का पत्रक

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या	आवश्यक CRPs की संख्या	प्रशिक्षण बैच तथा प्रशिक्षक दल	प्रशिक्षण दिनांक/माह
1	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	102	51	1	5 से 7 फरवरी
2	बड़वानी	नेवली	20	10		
3	बड़वानी	पाटी	37	19		
4	बड़वानी	राजपुर	51	26	2	फरवरी
5	बड़वानी	सेंधवा	71	36		
6	छतरपुर	बड़ा मल्हरा	55	28		
7	छतरपुर	बारीगढ़	44	22		
8	छतरपुर	बिजावर	32	16		
9	छतरपुर	बक्सवाहा	23	12	3	29 से 31 जनवरी
10	छतरपुर	छतरपुर	57	29		
11	छतरपुर	लौंड़ी	49	25		
12	छतरपुर	नौगाँव	45	23		
13	छतरपुर	राजनगर	46	23		
14	दमोह	बटियागढ़	41	21		
15	दमोह	दमोह	73	37	2	फरवरी
16	दमोह	हटा	42	21		
17	दमोह	जबेरा	45	23		
18	धार	बाघ	33	17		
19	धार	गंधवानी	60	30		
20	धार	कुक्षी	24	12		
21	धार	मनावर	51	26	2	29 से 31 जनवरी
22	धार	नालछा	36	18		
23	धार	सरदारपुर	77	39		
24	डिंडोरी	अमरपुर	23	12		
25	डिंडोरी	बजाग	23	12		
26	डिंडोरी	डिंडोरी	46	23		
27	डिंडोरी	करंजिया	36	18	2	5 से 7 फरवरी
28	डिंडोरी	समनापुर	36	18		
29	डिंडोरी	शाहपुरा	47	24		
30	गुना	बमौरी	54	27		
31	गुना	चांचोड़ा	73	37	2	फरवरी
32	गुना	गुना	41	21		
33	गुना	राघोगढ़	69	35		
34	झाबुआ	पेटलावद	52	26	1	5 से 7 फरवरी
35	झाबुआ	रानापुर	35	18		

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या	आवश्यक CRPs की संख्या	प्रशिक्षण बैंच तथा प्रशिक्षक दल	प्रशिक्षण दिनांक/ माह
36	मंडला	बिछिया	34	17		
37	मंडला	घुघरी	35	18	1	5 से 7
38	मंडला	मावई	39	20		फरवरी
39	मंडला	मोहगांव	24	12		
40	पन्ना	अजयगढ़	32	16		
41	पन्ना	गुन्नौर	68	34	2	22 से 24
42	पन्ना	पवई	56	28		जनवरी
43	पन्ना	शाहनगर	52	26		
44	राजगढ़	ब्यावरा	46	23		
45	राजगढ़	नरसिंहगढ़	84	42	2	फरवरी
46	राजगढ़	राजगढ़	62	31		
47	राजगढ़	जीरापुर	55	28		
48	सागर	बंडा	44	22		
49	सागर	बीना	33	17		
50	सागर	खुरई	45	23	2	फरवरी
51	सागर	मालथोन	57	29		
52	सागर	शाहगढ़	28	14		
53	शहडोल	ब्यौहारी	58	29		
54	शहडोल	बुढ़ार	69	35	2	फरवरी
55	शहडोल	जयसिंहनगर	61	31		
56	शहडोल	सोहागपुर	50	25		
57	श्योपुर	कराहल	48	24		
58	श्योपुर	श्योपुर	82	41	2	22 से 24
59	श्योपुर	विजयपुर	56	28		जनवरी
60	शिवपुरी	खनियाधाना	39	20		
61	शिवपुरी	नरवर	32	16	1	फरवरी
62	शिवपुरी	पोहरी	42	21		
63	सिंगरौली	चितरंगी	105	53		
64	सिंगरौली	देवसर	92	46	2	22 से 24
65	सिंगरौली	बैढ़न	84	42		जनवरी
66	टीकमगढ़	बल्देवगढ़	60	30		
67	टीकमगढ़	जतारा	64	32		
68	टीकमगढ़	निवाड़ी	37	19	2	फरवरी
69	टीकमगढ़	पलेरा	52	26		
70	टीकमगढ़	टीकमगढ़	57	29		
		योग	**3531**	**1766**	**31**	

नोट : प्रेरकों का आवासीय प्रशिक्षण 3 दिवसीय रहेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जोड़े जायेंगे स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 1942/22/वि-7/पीएमएवाय-जी/18 **भोपाल, दिनांक 19.02.2018**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत- समस्त
मध्यप्रदेश।

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने बाबत्।

संदर्भः- भारत सरकार का पत्र क्र. जे-11060/16/2017 आरएच दिनांक 24.01.2018

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न)। पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया का लेख किया गया है। पात्र परिवार के नाम चयनित करने तथा स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

1. स्थाई प्रतीक्षा सूची में निम्न दो श्रेणी के परिवार ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात जोड़ जा सकेंगे।
   (अ) पूर्व में परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 में था (सिस्टम जनरेटिड लिस्ट) परन्तु ग्राम सभा द्वारा उसे डिलिट कर दिया गया।
   (ब) परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (सिस्टम जनरेटिड लिस्ट) में नहीं था।
2. उपरोक्त परिवार आवासहीन होना चाहिए अर्थात उनका आवास शून्य अथवा एक या दो कच्चे कक्ष का होना चाहिए।
3. चयनित परिवार की पात्रता पूर्व अनुसार जारी निर्देशों के अनुसार ही होगी।
4. पंचायत सचिव चयनित परिवारों का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। ग्राम सभा के प्रस्ताव में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज होगा तथा यह स्पष्ट किया जायेगा कि लाभार्थी का परीक्षण 13 बिन्दुओं (बहिर्वेशन प्रक्रिया) पर किया गया।
5. ग्राम सभा की सूची संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (सक्षम प्राधिकारी) को प्रदाय की जायेगी। इस सूची का परीक्षण कर वह रिपोर्ट अपील समिति को (जिला स्तरीय अपील समिति विभाग के पत्र क्र. 5163 दिनांक 04.05.2016 द्वारा गठित) प्रस्तुत करेगा।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (सक्षम प्राधिकारी) को जो आवेदन सीधे प्राप्त होंगे, उन्हें भी ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जायेगा तथा अपील समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।
7. अपील समिति समक्ष प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उन परिवारों को पीएमएवायजी के लाभार्थियों की सूची में शामिल करने की अनुशंसा राज्य शासन को करेगी।

उपरोक्त कार्यवाही हेतु पृथक से Mobile Application ग्रामीण विकास मंत्रालय एन.आई.सी. नईदिल्ली द्वारा निर्मित किया जा रहा है। आवास सॉफ्ट में भी पृथक से एक मॉड्यूल निर्मित किया जा रहा है, जिसमें जिओ टैगिंग, ग्राम सभा का प्रस्ताव अपलोड आदि की सुविधा प्रदाय की जा रही है। यह मॉड्यूल आवास सॉफ्ट पोर्टल पर प्रारम्भ होते ही जिलों को अवगत करा दिया जायेगा तथा योजना के प्रभारी अधिकारियों को पृथक से प्रशिक्षण प्रदाय कर समस्त जानकारी प्रदाय की जायेगी।

(इकबाल सिंह बैंस)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

चौदह अप्रैल को किया जायेगा ग्राम सभाओं का आयोजन

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 16-1/2018/22/पंचा. 2/142 **भोपाल, दिनांक 24.03.2018**

प्रति,

1. **कलेक्टर, जिला- समस्त मध्यप्रदेश।**
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत- समस्त मध्यप्रदेश।

विषयः- दिनांक 14 अप्रैल 2018 को ग्राम सभाओं का आयोजन।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का त्रैमासिक सम्मिलन चरणबद्ध तिथियों में आयोजित करना अनिवार्य है। आगामी ग्राम सभाओं का आयोजन दिनांक 14 अप्रैल 2018 को किया जाना है। सभा में स्थानीय एजेंडा के विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जायेः-

मुख्य बिंदुः-

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण की स्थाई प्रतीक्षा सूची को अद्यतन करने की कार्यवाही हेतु विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 1942 दिनांक 19.02.2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ग्राम सभा से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना (छायाप्रति संलग्न)।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण करवाने की समीक्षा।

(3) संचालनालय स्तर से निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के लिये स्वीकृत किये गये कार्यों की समीक्षा का पटल पर रखा जाना। अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण कराना।

अन्य बिंदुः-

(1) पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत उपलब्ध राशि तथा प्रगतिरत कार्यों की चर्चा।

(2) पंच परमेश्वर योजना के नवीन दिशा-निर्देशों तथा पंच परमेश्वर एप से सदस्यों को अवगत कराना।

(3) ग्राम को खुले में शौच मुक्त घोषित करने की रणनीति पर चर्चा तथा अवधि का निर्धारण।

(4) जो ग्राम खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, उनको "कचड़ा मुक्त कीचड़ मुक्त" ग्राम के रूप में विकसित करने के लिये रणनीति निर्धारित करना।

(5) ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य करों के करारोपण एवं वसूली की चर्चा।

(6) विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण की समीक्षा/आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण आहार की चर्चा।

(7) जिन ग्रामों में सभी पात्र महिलाएं स्व-सहायता समूह की सदस्य बन चुकी हैं, उनकी पूर्ण जानकारी ग्राम सभा में रखी जाए।

(8) स्व-सहायता समूहों द्वारा स्वच्छता मिशन में सक्रिय भागीदारी की जाकर खुला शौच मुक्त (ओडीएफ) तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) में सहयोग किया जाए।

(9) ग्राम संगठन द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी ग्राम सभा में साझा की जाए।

(10) विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभ वितरण की चर्चा।

(11) मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशीले मादक द्रव्यों/पदार्थों के दुष्परिणामों पर चर्चा तथा "मद्य निषेध" हेतु वातावरण निर्माण करना।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग